

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (भारत सरकार का उपक्रम) मर्चेन्ट बैंकिंग प्रभाग, प्रधान कार्यालय प्रथम तल, प्लॉट सं.5, सेक्टर-32, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुडगांव-122001, टेलि.सं.- 0124-4126285-86 फैक्स- 0124-4126574 ई-मेल- mbd@obc.co.in	 Oriental Bank of Commerce (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING) Merchant Banking Division, Corporate Office 1 st Floor , Plot No.5, Institutional Area, Sector - 32 Gurgaon -122001 (Haryana) Tel.: 0124-4126285-86 Fax : 0124-4126574 E-mail: mbd@obc.co.in
--	--

HO/MBD/2017

19.08.2017

Scrip Code: ORIENTBANK	Scrip Code: 500315
The Executive Director, National Stock Exchange of India Ltd., Exchange Plaza, 5 th Floor, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai-400051	The General Manager, Dept. of Corporate Services, Bombay Stock Exchange Limited, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Mumbai-400001

Dear Sir/Madam,

Reg. Notice of Extraordinary General Meeting of the Bank

This is to inform that an Extraordinary General Meeting of the shareholders of the Bank will be held on Tuesday, 19th September 2017 at New Delhi to elect three Directors from amongst the shareholders of the Bank other than the Central Government. A copy of the Notice of the Extraordinary General Meeting is enclosed.

The Specified Date/Cut-off Date for the purpose of determining the shareholders entitled to participate in the election of Shareholder Directors i.e. to nominate, contest and vote (remote e-voting and voting at the meeting) has been fixed as Friday, 25th August 2017 as already informed vide Bank's communication dated 11.08.2017.

Further, pursuant to Regulation 44 of SEBI Listing Regulations, the Bank has provided its shareholders the option to exercise voting rights through remote e-voting provided by NSDL from 16th September 2017 (09.00 a.m.) to 18th September 2017 (05.00 p.m.) w.r.t. business to be transacted at the EGM.

This information is being furnished in compliance of Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Yours faithfully,


 Company Secretary
 Encl.: as above



ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स ORIENTAL BANK OF COMMERCE

प्रधान कार्यालय : हर्षा भवन, ई-ब्लॉक, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली – 110001

कॉरपोरेट कार्यालय : प्लॉट नं. 5, सेक्टर – 32, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम – 122001

Head Office: Harsha Bhawan, E-Block, Connaught Place, New Delhi – 110001

Corporate Office: Plot No.5, Sector-32, Institutional Area, Gurugram – 122001

असाधारण आम बैठक EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

मंगलवार दिनांक 19 सितंबर, 2017 प्रातः 10.00 बजे
Tuesday, the 19th September 2017 at 10.00 a.m.

स्थान :

फेडरेशन ऑफ़ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन (एफआईईओ),
निर्यात भवन, राव तुला राम मार्ग
(आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल के सामने),
नई दिल्ली – 110057

Venue :

Federation of Indian Export Organisations (FIEO),
Niryat Bhawan, Rao Tula Ram Marg,
(Opposite Army Hospital Research & Referral),
New Delhi - 110057



ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

प्रधान कार्यालय : हर्षा भवन, ई-ब्लॉक, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली – 110001
कॉरपोरेट कार्यालय : प्लॉट नं. 5, सेक्टर-32, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम-122001

विषयसूची

1	नोटिस एवं नोट	3
2	ब्याख्यात्मक कथन	6
3	विधिक प्रावधान	6
4	निदेशकों का चुनाव- प्रासंगिक अधिनियम, योजना तथा विनियमन आदि का सारांश	10
5	नामांकन फॉर्म	18
6	घोषणा	19
7	व्यक्तिगत सूचना, घोषणा एवं शपथपत्र	21
8	उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास सह मतपत्र पास	23
9	प्रॉक्सी फॉर्म	24

घटनाक्रम की महत्वपूर्ण तिथियां:

मतदान में भाग लेने हेतु शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने हेतु निर्दिष्ट तिथि/ अन्तिम तिथि	शुक्रवार, 25 अगस्त 2017
नामांकन फॉर्म एवं 'व्यक्तिगत सूचना, घोषणा एवं शपथपत्र' प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	सायं 05.00 बजे सोमवार, 04 सितंबर 2017
नामांकन की जांच	मंगलवार, 05 सितंबर 2017
प्रॉक्सी फॉर्म प्राप्त होने की अंतिम तिथि एवं समय	सायं 05.00 बजे गुरुवार, 14 सितंबर 2017
रिमोट ई-वोटिंग अवधि	16 सितंबर 2017 (प्रातः 09.00 बजे) से 18 सितंबर 2017 (सायं 05.00 बजे)
असाधारण आम बैठक की तिथि एवं समय	प्रातः 10.00 बजे मंगलवार, 19 सितंबर 2017



ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

प्रधान कार्यालय : हर्षा भवन, ई-ब्लॉक, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली – 110001
कॉरपोरेट कार्यालय : प्लॉट नं. 5, सेक्टर-32, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम-122001

नोटिस

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (शेयर तथा बँडकों) विनियम 1998 के विनियम 57 के अनुसरण में एतद्वारा सूचित किया जाता है कि ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक मंगलवार दिनांक 19 सितंबर, 2017 को प्रातः 10.00 बजे फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन (एफआईओ), निर्यात भवन, राव तुला राम मार्ग (आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल के सामने), नई दिल्ली –110057 में निम्नलिखित कारोबार संव्यवहार के लिए आयोजित की जाएगी :

मद सं.1:

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1980 (जिसे आगे “अधिनियम” कहा गया है) की धारा 9(3)(i) के प्रावधान में बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के साथ पठित, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1980 (जिसे आगे “योजना” कहा गया है), अधिनियम की धारा 19 के अनुसार बनाए गए द ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (शेयर एवं बँडक) विनियम 1998 (जिसे आगे “विनियम” कहा गया है), भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना सं. डीबीओडी. सं. बीसी. सं. 46/29.39.001/2007-08 तथा 47/29.39.001/2007-08 दोनों दिनांक 01 नवंबर, 2007, सं. डीबीओडी.बीसी. सं. 95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23 मई, 2011 तथा सं.डीबी आर.एपीपीटी. बीसी. सं. 39/29.39.001/2016-17 दिनांक 24 नवंबर, 2016 (जिसे आगे भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना कहा गया है) के साथ पठित तथा भारत सरकार के समय-समय पर यथासंशोधित दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के तहत निम्न संकल्प पारित करके केन्द्र सरकार से इतर बैंक के शेयरधारकों में से तीन निदेशकों के चुनाव करने हेतु:-

“संकल्प किया जाता है कि अधिनियम की धारा 9(3)(i), उसके तहत बनाई गई योजना, विनियमों के साथ पठित, भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना एवं भारत सरकार के निर्देशों के प्रावधान में बैंक के शेयर धारकों में से केन्द्र सरकार से इतर नियुक्त तीन निदेशकों को 30 सितंबर, 2017 से कार्यग्रहण करने और ऐसे कार्यग्रहण से तीन वर्ष की अवधि के लिए पदभार ग्रहण करने हेतु चुना जाए और एतद् द्वारा चुना गया”

निदेशक मण्डल के आदेश द्वारा

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : 11 अगस्त, 2017

मुकेश कुमार जैन
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

नोट

व्याख्यात्मक विवरणी

बैठक के कारोबार से संबंधित प्रमुख तथ्यों को विश्लेषित करने वाली विवरणी इसके साथ संलग्न है।

प्रॉक्सी की नियुक्ति

बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए पात्र शेयरधारक अपने स्थान पर एक प्रॉक्सी को बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए नियुक्त करने के लिए पात्र है और ऐसे प्रॉक्सी का बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है। प्रॉक्सी का कोई दस्तावेज तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि यह नोटिस के साथ संलग्न फॉर्म ‘बी’ में न हो। प्रॉक्सी फॉर्म को प्रभावी बनाने के लिए यह महाप्रबंधक (एमबीडी) को संबोधित करते हुए हर्षा भवन, ई ब्लॉक, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय अथवा प्लॉट नं. 5, सेक्टर 32, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम-122001 स्थित कॉरपोरेट कार्यालय में गुरुवार, 14 सितंबर, 2017 को अथवा इससे पूर्व सायं 5.00 बजे (बैंक के कार्य समय) तक प्राप्त हो जाना चाहिए। इस प्रकार नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति जो ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स का अधिकारी अथवा कर्मचारी है उसे प्रॉक्सी नियुक्त नहीं किया जाएगा।

प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी/निकाय, जो बैंक का शेयरधारक है, के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में असाधारण आम बैठक में भाग लेने अथवा मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि उसे प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने वाले संकल्प की प्रति, उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा सत्यापित प्रति, जिसमें यह पारित किया गया है, गुरुवार, 14 सितंबर, 2017 को बैंक की कार्य अवधि समाप्त होने अर्थात् सायं 5.00 बजे तक बैंक के प्रधान कार्यालय अथवा कॉरपोरेट कार्यालय (जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है) में जमा कर दी गई हो।

कोई भी व्यक्ति जो ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स का अधिकारी अथवा कर्मचारी है उसे प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया जाएगा।

उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास-सह- मतपत्र पास

शेयरधारकों की सुविधा हेतु उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास-सह- मतपत्र पास इस नोटिस के साथ संलग्न है। शेयरधारकों/प्रॉक्सी धारकों प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि इसे भरकर इसमें दिए गए स्थान में अपने हस्ताक्षर करें और इसे बैठक के स्थल पर जमा करा दें। शेयरधारकों के प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि को उपस्थिति पर्ची-सह- प्रवेश-पास में “प्रॉक्सी” अथवा “प्राधिकृत प्रतिनिधि”, जो भी हो, उल्लेख करना चाहिए। ऐसे प्रवेश पास मतदान के समय मतपत्र प्राप्त करने के लिए जमा कर दिए जाएंगे।

अंतरण

बैंक के शेयरों के अंतरण के लिए अंतरण विलेखों के साथ शेयर प्रमाणपत्र शेयर अंतरण एजेंट को नीचे दिए गए पते पर अग्रेषित कर दिए जाएं।

पते/ई-मेल आईडी में परिवर्तन

जिन्होंने मूर्त रूप में शेयर रखे हैं, उनसे अनुरोध है कि वे निम्न पते पर बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट के पास अपने ई-मेल आईडी, पते के विवरण को अद्यतन करा लें :-

मै. लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड,

44 सामुदायिक केन्द्र, द्वितीय तल,

नारायणा औद्योगिक क्षेत्र, फेस-I,

पीवीआर के समीप, नारायणा, नई दिल्ली- 110028

ई-मेल आईडी: delhi@linkintime.co.in फोन: 011-41410592/93/94

ऐसे शेयरधारकों, जिनके पास शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने डिपोजिटरी प्रतिभागी को अपने पते/ई-मेल आईडी में हुए नवीनतम परिवर्तन के संबंध में सूचित कर दें।

शेयरधारकों की मतदान में भाग लेने की पात्रता निर्धारित करने हेतु निर्दिष्ट तिथि/अंतिम तिथि

ऐसे शेयरधारक, जिनके नाम कारोबार समय के बाद अर्थात् शुक्रवार 25 अगस्त, 2017 (जिसे आगे “निर्दिष्ट तिथि/अंतिम तिथि” कहा गया है) को एनएसडीएल/सीडीएसएल द्वारा उपलब्ध कराए गए शेयरधारकों/लाभार्थी धारकों के रजिस्टर में शामिल हैं, शेयरधारकों में से केन्द्र सरकार से इतर तीन निदेशकों, जैसा कि नोटिस की मद सं. 1 में उल्लेख किया गया है, के लिए मतदान में शामिल होने अर्थात् नामांकन, चुनाव लड़ने एवं मतदान करने के पात्र होंगे।

मतदान अधिकार

अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2ई) के प्रावधान के अनुसार, केन्द्र सरकार के इतर, बैंक का कोई शेयरधारक उसके द्वारा बैंक के समस्त शेयरधारकों के मताधिकारों के दस प्रतिशत से अधिक शेयर धारिता के संबंध में मताधिकार का प्रयोग करने का पात्र नहीं होगा।

विनियमों के विनियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो अथवा अधिक व्यक्तियों के नाम में है तो मतदान के लिए रजिस्टर में पहले स्थान पर नाम वाला व्यक्ति उसका संपूर्ण धारक माना जाएगा। इस प्रकार, यदि शेयर संयुक्त नाम में हैं तो पहले नाम वाला व्यक्ति ही बैठक में शामिल होने के लिए पात्र होगा और वही नामांकन करने, चुनाव लड़ने एवं बैठक में मतदान करने के लिए पात्र होगा।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान

- I. सेबी सूचीकरण विनियम 44 कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 यथासंशोधित के नियम 20 के साथ पठित, के प्रावधानों के अनुपालन में बैंक सहर्ष अपने सदस्यों को असाधारण आम बैठक (ईजीएम) में प्रस्तावित संकल्प पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करता है और कारोबार ई-वोटिंग सेवाओं के माध्यम से संचालित किया जा सकता है। ईजीएम से इतर स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली का प्रयोग करके मतदान (“रिमोट ई-वोटिंग”) की सुविधा नेशनल सिक्क्यूरीटीज डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।
- II. मतपत्र के द्वारा मतदान की सुविधा ईजीएम में उपलब्ध कराई जाएगी और बैठक में शामिल होने वाले ऐसे सदस्य, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपने मतदान का प्रयोग नहीं किया है, मतपत्र के द्वारा बैठक में मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।
- III. ऐसे सदस्य भी ईजीएम में शामिल हो सकेंगे, जिन्होंने ईजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान कर लिया है किंतु वे पुनः मतदान करने के पात्र नहीं होंगे।
- IV. रिमोट ई-वोटिंग अवधि 16 सितंबर, 2017 (प्रातः 9.00 बजे) से शुरू होकर 18 सितंबर, 2017 को (सायं 5.00 बजे) समाप्त होगी। इस अवधि में बैंक के सदस्य, जो 25 अगस्त, 2017 अंतिम तिथि/निर्दिष्ट तिथि को मूर्त अथवा अमूर्त रूप में शेयर धारण कर रहे हैं, रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा अपना मतदान कर सकते हैं। इसके बाद एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल बंद कर दिया जाएगा। एक बार अपना मतदान करने के बाद सदस्य को इसे बाद में परिवर्तित करने की अनुमति नहीं होगी।
- V. रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया एवं तरीका निम्नानुसार है:
 - क) यदि सदस्य को एनएसडीएल से ई-मेल प्राप्त होता है (ऐसे सदस्य जिनके ई-मेल बैंक/डिपोजिटरी प्रतिभागी (गियों) के पास पंजीकृत हैं):

- i) ई-मेल खोलें तथा अपनी ग्राहक आईडी अथवा फोलियो सं. को पासवर्ड के रूप में प्रयोग करके पीडीएफ फाइल जैसे, “Remote e-voting.pdf” खोलें। इस पीडीएफ फाइल में रिमोट ई-वोटिंग हेतु आपकी यूजर आईडी एवं पासवर्ड/पिन दी गई है। कृपया नोट करें कि यह पासवर्ड एक प्रारंभिक पासवर्ड है। यदि आप ई-वोटिंग हेतु एनएसडीएल के साथ पहले ही पंजीकृत हैं तो अपनी मौजूदा लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।
 - ii) यूआरएल : <https://www.evoting.nsdl.com> टाइप करके इंटरनेट ब्राउज़र लांच करें।
 - iii) **Shareholder- Login** पर क्लिक करें।
 - iv) उपरोक्त चरण (i) में प्रारंभिक पासवर्ड/पिन के रूप में नोट किए गए पासवर्ड/पिन को भरें। Login पर क्लिक करें।
 - v) **Password change** मेनू सामने आएगा। पासवर्ड/पिन को न्यूनतम 8 अंकों/वर्णों अथवा इनके सम्मिश्रण वाले पासवर्ड/पिन से बदलें। नया पासवर्ड नोट करें। इस बात की प्रबल संस्तुति की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी से साझा न करें और अपने पासवर्ड को यथासंभव गोपनीय रखने का प्रयास करें।
 - vi) रिमोट ई-वोटिंग का होमपेज खुलेगा। “Remote e-voting: Active Voting Cycles” पर क्लिक करें।
 - vii) ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स के “EVEN” को चुनें।
 - viii) अब आप रिमोट ई-वोटिंग के लिए तैयार हैं क्योंकि **Caste Vote** पेज खुल चुका है।
 - ix) उपयुक्त उम्मीदवार का विकल्प चुनकर अपना मतदान करें और “Submit” पर क्लिक करें तथा जब दिखाई दे तो “Confirm” पर भी क्लिक करें। आप तीन से अधिक उम्मीदवार नहीं चुन सकते हैं।
 - x) पुष्टि करने पर “Vote cast successfully” संदेश दिखाई देगा।
 - xi) एक बार आपके द्वारा मतदान कर लेने के बाद आपको अपने मत को संशोधित करने की अनुमति नहीं होगी।
 - xii) संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात् व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरई इत्यादि के अलावा) को इसके साथ-साथ विधिवत् प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, जो मतदान करने के लिए प्राधिकृत है, के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ संबंधित मंडल के संकल्प/प्राधिकरण पत्र आदि की स्कैन प्रति (पीडीएफ/जेपीजी फॉर्मेट में) evoting@nsdl.co.in को प्रति संबोधित करते हुए संवीक्षक को scrutinizer@snaco.net पर ई-मेल के द्वारा भेजनी आवश्यक है।
- ख) यदि सदस्य को ईजीएम नोटिस की मूर्त प्रति प्राप्त होती है (ऐसे सदस्य जिनके ई-मेल आईडी बैंक/डिपोजिटरी प्रतिभागी (गिर्यो) के साथ पंजीकृत नहीं हैं अथवा मूर्त प्रति का अनुरोध करते हैं) :
- i) प्रारंभिक पासवर्ड ईजीएम के नोटिस के साथ संलग्न पृथक शीट में दिया गया है।
 - ii)

EVEN (रिमोट ई-वोटिंग इवेंट नंबर)	यूजर आईडी	पासवर्ड/पिन
मतदान के लिए, कृपया ऊपर दिए गए क्रम सं. (ii) से क्रम सं. (xii) पर दिए गए सभी चरणों का पालन करें।		
- VI. किसी प्रकार की शंका होने पर आप www.evoting.nsdl.com के ‘डाउनलोड खंड’ में उपलब्ध सदस्यों के लिए प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और सदस्यों के लिए रिमोट ई-वोटिंग यूजर मैनुअल देख सकते हैं अथवा टोल फ्री नंबर: 1800-222-990 पर फोन कर सकते हैं।
- VII. यदि आप रिमोट ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पहले से ही पंजीकृत हैं तो आप मतदान के लिए अपने वर्तमान यूजर आईडी एवं पासवर्ड/पिन का प्रयोग कर सकते हैं।
- नोट:-** ऐसे शेयरधारक जो अपनी यूजर/पासवर्ड का विवरण भूल गए हैं, www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प “Forgot user Details/ Password” अथवा “Physical user Reset Password” का प्रयोग कर सकते हैं। यदि शेयरधारक डिमैट रूप में शेयर धारण करते हैं, जो यूजर आईडी (DP ID+Client ID) का मिश्रण है। यदि शेयरधारक मूर्त रूप में शेयर धारण करते हैं तो यूजर आईडी (EVEN NO.+ Folio No.) का मिश्रण है।
- VIII. आप फोलियो के यूजर प्रोफाइल विवरण में अपने मोबाइल नंबर एवं ई-मेल आईडी, जिसे भविष्य में संदेश भेजने के लिए प्रयोग किया जा सकता है, को अद्यतन कर सकते हैं।
- IX. सदस्यों के मताधिकार बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयर के समानुपात में होंगे बशर्ते बैंक का कोई भी शेयरधारक, केन्द्र सरकार से इतर, 25 अगस्त की अंतिम तिथि/निर्दिष्ट तिथि को उसके द्वारा **बैंक के समस्त शेयरधारकों के मताधिकारों के दस प्रतिशत** से अधिक शेयर धारिता के संबंध में मताधिकार का प्रयोग करने का पात्र नहीं होगा।
- X. बैंक द्वारा लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड के साथ ईजीएम के नोटिस को ऐसे व्यक्ति को अलग से भेजा जाएगा जो नोटिस भेजने के बाद बैंक के शेयर धारण करके बैंक का शेयरधारक बन जाता है तथा अंतिम तिथि/निर्दिष्ट तिथि अर्थात् 25 अगस्त, 2017 को शेयर धारण करता है।
- तथापि, यदि आप रिमोट ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पहले से ही पंजीकृत हैं तो आप मतदान के लिए अपने वर्तमान यूजर आईडी एवं पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध “Forgot User Details/Password” अथवा “Physical user Reset Password” विकल्प का प्रयोग करके अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं अथवा टोल फ्री नंबर: 1800-222-990 पर एनएसडीएल से संपर्क कर सकते हैं।

- XI. ऐसे सदस्य भी ईजीएम में शामिल हो सकेंगे, जिन्होंने ईजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान कर लिया है किंतु वे पुनः मतदान करने के पात्र नहीं होंगे। रिमोट ई-वोटिंग तथा मतपत्र द्वारा ईजीएम में मतदान करने के लिए केवल ऐसे व्यक्ति ही पात्र होंगे, जिनका नाम अंतिम तिथि को डिपोजिटरी द्वारा रखे सदस्यों के रजिस्टर अथवा लाभार्थी स्वामित्व वाले रजिस्टर में दर्ज हो।
- XII. निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से मतदान एवं ई-वोटिंग की जांच हेतु बैंक के सदस्यों को सुविधा प्रदान करने के लिए मै. एस.एन. अनंतसुब्रह्मनियम एण्ड कंपनी, कंपनी सचिव को संवीक्षक नियुक्त किया गया है।
- XIII. अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा लिखित में प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा घोषित परिणामों को जांचकर्ता की रिपोर्ट के साथ परिणाम घोषित होते ही अविलंब बैंक की वेबसाइट www.obcindia.co.in तथा एनएसडीएल की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। परिणामों को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लिमि. (एनएसई) तथा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमि. (बीएसई) को भी अविलंब अग्रेषित कर दिया जाएगा।

19 सितंबर, 2017 को मतदान प्रक्रिया

निदेशकों का चुनाव बैठक में मतदान द्वारा होगा। शेयरधारकों/प्रॉक्सी धारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों को मतपत्र पंजीकरण के समय जारी मतपत्र-पास जमा करने पर इस हेतु स्थापित काउंटरों पर जारी किए जाएंगे।

बैठक में अध्यक्ष द्वारा घोषणा करने के साथही मतदान आरंभ होगा और यह 12.00 बजे (दोपहर) तक चलेगा।

शेयरधारक मतपत्र में अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम के सामने (x) रबड़ की मुहर लगाकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं और इन्हें मतपेटी (टियों) में जमा करा दें।

मतदान एवं चुनाव की समस्त प्रक्रिया बैंक द्वारा नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी, बैंक द्वारा इस उद्देश्य से नियुक्त स्वतंत्र सलाहकार (संवीक्षक) द्वारा कराई जाएगी और केन्द्र सरकार के नामित अधिकारी, जो पर्यवेक्षक एवं द्वितीय संवीक्षक के रूप में कार्य करेगा, द्वारा इसकी निगरानी की जाएगी।

व्याख्यात्मक कथन

मद सं. 1

इस समय, भारत सरकार के अलावा शेयरधारक बैंक की 41.62% शेयर पूंजी धारण करते हैं। बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9(3)(i) के अनुसार ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले (केन्द्र सरकार के अलावा) बैंक के निदेशक मण्डल में निदेशक के रूप में अधिकतम तीन शेयरधारक निदेशक रखने का पात्र है। 16 सितंबर, 2014 को संपन्न बैंक की असाधारण आम बैठक में तीन निदेशक यथा श्री देशदीपक खेत्रपाल, श्री अशोक कुमार शर्मा एवं श्री दिनेश कुमार अग्रवाल केन्द्र सरकार के अलावा शेयरधारकों में से चुने गए और इनका कार्यकाल 29 सितंबर, 2017 को समाप्त हो रहा है।

30 सितंबर, 2017 को होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए आपका बैंक 19 सितंबर, 2017 को आयोजित होने वाली असाधारण आम बैठक में शेयरधारक निदेशकों के चुनाव कराने का प्रस्ताव रखता है।

अतः शेयरधारक (केन्द्र सरकार के अलावा) विभिन्न तथा संबंधित अधिनियम / योजना/विनियमों/दिशानिर्देशों, जिनके संबंधित सार/अंश निम्नानुसार पुनः दिए गए हैं, में वर्णित प्रक्रिया के अनुरूप अपने नामांकन भेजने के पात्र हैं।

मण्डल की नामांकन समिति द्वारा नामांकन की जांच के बाद (यदि वैध उम्मीदवारों की संख्या तीन तक हो) अथवा योग्य और उचित पाए जाने पर या (तीन से अधिक वैध उम्मीदवार होने पर) 19 सितंबर, 2017 को होने वाली असाधारण आम बैठक में तदनुसार चुनाव के द्वारा, तीन निदेशक चुने जाएंगे। ऐसे चुनाव के बाद, निदेशक 30 सितंबर, 2017 से कार्यग्रहण करेंगे और कार्यग्रहण करने से तीन वर्ष तक कार्य करेंगे।

विधिक प्रावधान

अधिनियम/योजना/विनियम/अधिसूचना	प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949	धारा 5 (n से e) धारा 16 (1) धारा 20	- पर्याप्त रुचि - साझा निदेशकों का निषेध - निदेशकों अथवा इनकी ओर से किसी को ऋण अथवा अग्रिम प्रदान करने पर प्रतिबंध
बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1980	धारा 3 (2E) धारा 9 (3)(i) धारा 9 (3A) (A) से (C) धारा 9 (3AA) धारा 9 (3AB) धारा 9 (3B) धारा 13 (2)	- मताधिकार पर प्रतिबंध - शेयरधारकों द्वारा चुने जाने वाले निदेशकों की संख्या - कुछ विषयों का विशेष ज्ञान - कोई भी व्यक्ति तब तक निदेशक के रूप में चुने जाने के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि उसके ट्रैक रिकॉर्ड, शुचिता तथा अन्य मानदण्ड, जैसा भारतीय रिज़र्व बैंक निर्धारित करे, के आधार पर उसकी हैसियत योग्य और उचित न हो। - भारतीय रिज़र्व बैंक को उक्त अधिनियम की धारा 9(3A) तथा 9(3AA) की आवश्यकताएं पूर्ण न करने वाले इस प्रकार चुने गए निदेशक को पदच्युत करने का अधिकार - निष्ठा एवं गोपनीयता का दायित्व

अधिनियम/योजना/विनियम/अधिसूचना	प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
राष्ट्रीकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1980	खंड 9(4) खंड 10 खंड 11 खंड 11A खंड 11B खंड 12(8)	- निर्वाचित निदेशकों के कार्यकाल की अवधि - बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्यता - निदेशक के कार्यकाल की समाप्ति - निर्वाचित निदेशक का कार्यालय से निष्कासन - निर्वाचित निदेशक के कार्यालय में आकस्मिक रक्ति को भरना - कुछ विशिष्ट व्यवस्थाओं में निदेशकों द्वारा हितों का प्रकटीकरण, जिनमें उनके हित हों।
ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (शेयर एवं बैठकों) विनियम, 1998 (2008 तक संशोधित)	विनियम 10 विनियम 61 विनियम 63 विनियम 64 विनियम 65 विनियम 66 विनियम 67 विनियम 68 विनियम 69 विनियम 70	- संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग - सामान्य बैठकों में वोटिंग - सामान्य बैठकों में चुने जाने वाले निदेशक - शेयरधारकों की सूची - चुनाव के लिए प्रत्याशियों का नामांकन - नामांकनों की जांच - चुनाव विवाद - वोटिंग अधिकारों का निर्धारण - समुचित रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा वोटिंग - प्रॉक्सी
भारतीय रिजर्व बैंक अधिसूचना सं. डीबीओडी. सं. बीसी नं. 46 तथा 47/29.39.001/2007-08 दिनांकित 01.11.2007 और नं. डीबीओडी. सं. बीसी नं.95/29.39.001/2010-11 दिनांकित 23.05.2011 तथा नं. डीबीआर. एपीपीटी. बीसी. नं. 39/29.39.001/2016-17 दिनांकित 24 नवंबर, 2016	बैंककारी कंपनी अधिनियम (उपक्रमों का अधिग्रहण तथा अंतरण), 1980 की धारा 9 (3AA) तथा धारा 9 (3AB) के अनुसरण में	राष्ट्रीकृत बैंकों के मण्डल में निर्विघात निदेशकों के लिए योग्य एवं उचित पात्रता
भारत सरकार अधिसूचना सं. एफ.नं.16/83/2013-बीओ-1 दिनांकित 03 सितंबर 2013; भारत सरकार द्वारा गैर सरकारी निदेशक की नियुक्ति हेतु दिनांक 25 मार्च, 2015 को जारी दिशानिर्देश तथा तदोपरांत दिनांक 08 जुलाई, 2016 को जारी संशोधन और अन्य मौजूदा एवं लागू कानून/दिशानिर्देश।		सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति हेतु दिशानिर्देश।
भारतीय रिजर्व बैंक परिपत्र दिनांक 01 जुलाई, 2015- मास्टर परिपत्र सं.आरबी. आई/2015-16/95 डीबीआर.सं.डीआईआर.बीसी.10/13.03.00/2015-16		निदेशकों के संबंधियों को ऋण तथा अग्रिम स्वीकृत करना

शेयरधारकों की सुविधा के लिए, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, बैंककारी विनियमन अधिनियम, योजना / विनियमन व साथ में भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना सं. डीबीओडी. नं. बीसी. नं. 46 तथा 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 01.11.2007 तथा डीबीओडी.बीसी.नं. 95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23.05.2011, भारत सरकार की अधिसूचना सं. एफ.नं. 16/83/2013-बीओ. -1 दिनांक 03 सितंबर, 2013, गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति हेतु भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 25 मार्च, 2015 के दिशानिर्देश तथा दिनांक 08 जुलाई, 2016 को हुए तदोपरांत संशोधनों को बैंक की वेब साइट www.obcindia.co.in पर दर्शाया जाएगा। महाप्रबंधक (एमबीडी), ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, कॉरपोरेट कार्यालय, प्लॉट नं. 5, सेक्टर- 32, इस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम को नामांकन फॉर्म भरने के लिए तय अंतिम तिथि तक या उससे पूर्व अर्थात्; सोमवार 04 सितंबर, 2017, सोमवार तक अनुरोध प्राप्त होने पर ये उद्धरण इच्छुक प्रतिभागियों को भी ई-मेल किए जाएंगे।

चुनाव में प्रतिभागिता

केंद्र सरकार के अलावा शेयरधारकों में से केवल वे शेयरधारक ही भाग लेने अर्थात्; निदेशकों के चुनाव में नामांकन करने, भाग लेने तथा वोट करने के लिए पात्र होंगे, जिनके नाम निर्दिष्ट तिथि/अंतिम तिथि अर्थात्; शुक्रवार 25 अगस्त, 2017 तक एनएसडीएल/सीडीएसएल द्वारा उपलब्ध कराए गए सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थी स्वामित्व वालों के रजिस्टर में लिखे होंगे।

बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने के लिए अपेक्षित अर्हता

क) अधिनियम की धारा 9(3A) के अनुसार, वह प्रतिभागी, जो बैंक के शेयरधारक होने के नाते तथा अधिनियम की धारा 9(3)(i) के अंतर्गत बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने का इच्छुक है, उन्हें-

- क) निम्नलिखित मामलों में से एक या अधिक के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए :-
- कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था
 - बैंकिंग

- सहकारिता
- अर्थशास्त्र
- वित्त
- विधि
- लघु उद्योग
- किसी अन्य विषय का विशेष त्रान एवं व्यावहारिक अनुभव जो भारतीय रिज़र्व बैंक के मतानुसार बैंक के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है (व्यक्तियों की बैंकों में निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए विचार करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने पत्र दिनांक 24 नवंबर, 2016 द्वारा निम्नलिखित विषयों को शामिल किया है यथा (i) सूचना प्रौद्योगिकी (ii) भुगतान एवं निपटान प्रणाली (iii) मानव संसाधन (iv) जोखिम प्रबंधन तथा (v) कारोबार प्रबंधन)।

ख) निवेशकों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हों: या

ग) किसानों, कर्मकारों तथा कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हों

ख) अधिनियम की धारा 9(3AA) के अनुसार, एक प्रतिभागी को बैंक के शेयरधारक होने के नाते तथा जो बैंक का निदेशक बनना चाहता है, उसे 'योग्य एवं उचित' स्टेट्स प्राप्त होना चाहिए।

ग) इसके अतिरिक्त चुने गए निदेशक को प्रसंविदा विलेख निष्पादित करना होगा तथा इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथानिर्धारित वार्षिक घोषणा भी उपलब्ध करानी होगी।

बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने के लिए अयोग्यताएं

क) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1980 के खंड 10 के अनुसार, कोई व्यक्ति निदेशक बनने के लिए, नियुक्ति हेतु अयोग्य करार दिया जाएगा :

क) यदि वह किसी समय दिवालिया घोषित किया गया हो अथवा उसने लेनदारों को भुगतान रोक दिया हो अथवा उसने अपने लेनदारों के ऋण की चुकौती में चूक की हो; अथवा

ख) यदि वह मानसिक रूप से स्वस्थ न पाया गया हो और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो; अथवा

ग) यदि उसे आपराधिक न्यायालय द्वारा नैतिक भ्रष्टाचार के अपराध का दोषी पाया गया हो, अथवा

घ) यदि वह किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत गठित भारतीय स्टेट बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में यथापरिभाषित किसी अनुषंगी बैंक में लाभ का पद संभाल रहा हो, परन्तु यह पूर्णकालिक निदेशक के पद के लिए लागू नहीं है जिसमें प्रबन्ध निदेशक तथा उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3 के खंड (ई) और (एफ) के तहत तदनुसूची नए बैंक के कर्मचारियों में से नामित निदेशक आते हैं तथा

ख) यदि वह भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना— डीबीओडी. नं. बीसी. नं. 46/29.39.001/2007-08 तथा डीबीओडी नं. बीसी. नं. 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 01.11.2007 तथा नं. डीबीआर.एपीपीटी.बीसी. नं. 39/29.39.001/2016-17 दिनांक 24 नवंबर 2016 के साथ पठित डीबीओडी नं. बीसी नं. 95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23 मई, 2011 तथा भारत सरकार की अधिसूचना सं. एफ.नं.16/83/2013-बीओ.-I दिनांक 03 सितंबर, 2013 तथा गैर सरकारी निदेशकों की नियुक्ति हेतु भारत सरकार द्वारा दिनांक 25 मार्च, 2015 को जारी दिशानिर्देश तथा दिनांक 08 जुलाई, 2016 को तदोपरांत जारी संशोधन के अनुसार 'उपयुक्त एवं सक्षम' व्यक्ति नहीं पाया जाता है।

शेयरधारकों की सूची

जैसा कि ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 1998 के यथासंशोधित विनियम 64 में दिया गया है, शेयरधारकों की सूची की प्रति (इलैक्ट्रॉनिक रूप में अर्थात् सीडी) नई दिल्ली पर देय, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के पक्ष में जारी रु. 35000/- (रुपए पैंतीस हजार मात्र) के मांग ड्राफ्ट द्वारा भुगतान किए जाने पर शेयरधारकों द्वारा खरीदे जाने के लिए सोमवार 28 अगस्त, 2017 के बाद से बैंक के कॉरपोरेट कार्यालय में महाप्रबंधक (एमबीडी) के पास उपलब्ध होगी। इस सूची को खरीदने के इच्छुक प्रतिभागियों को यह शपथपत्र देना होगा कि सूची का प्रयोग केवल चुनाव हेतु प्रचार के लिए किया जाएगा तथा अन्य किसी उद्देश्य के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा।

शेयरधारकों का रजिस्टर, निरीक्षण के लिए कॉरपोरेट कार्यालय, गुरुग्राम में सभी कार्यदिवसों पर उपलब्ध रहेगा (रविवार एवं बैंक अवकाश के अतिरिक्त) अर्थात्; सोमवार से शनिवार (दूसरे तथा चौथे शनिवार के अलावा) प्रातः 10.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक।

यदि किसी शेयरधारक को इसकी चयनित/आंशिक जानकारी की प्रति या कंप्यूटर प्रिंट चाहिए तो उसे इसकी आपूर्ति रु. 5/- प्रति 1000 शब्द की दर से या आंशिक रूप से की जा सकती है।

चुनाव के लिए प्रत्याशियों का नामांकन

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (शेयर एवं बँडकें) विनियमन, 1998 के यथासंशोधित विनियम 65 के अनुसार, तथा नं. डीबीओडी.बीसी. नं. 95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23.05.2011 के साथ पठित भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना डीबीओडी नं. बीसी नं. 46 व 47/29.39.001/2010-11 दिनांक 01.11.2007 के अनुसार तथा भारत सरकार के दिशानिर्देशानुसार एवं विविध अधिनियमों एवं अन्य प्रावधानों के अनुसार, निदेशक के रूप में चुने जाने के लिए प्रत्याशी का नामांकन वैध होगा बशर्ते :

- चुनाव में भाग लेने के लिए गणना की निर्दिष्ट/अंतिम तिथि शुक्रवार 25 अगस्त, 2017 को वह शेयरधारक है और उसके पास बैंक के 100 (एक सौ) से अधिक शेयर हैं तथा बैठक की तिथि तक एवं उसके बाद उसका कार्यकाल समाप्त होने तक न्यूनतम 100 शेयर अपने पास रखता है, यदि वह चुना जाता/जाती है।
- नामांकन प्राप्त होने की अंतिम तिथि सोमवार 04 सितंबर, 2017 तक, वह अधिनियम/योजना/विनियमों/भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना/भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अंतर्गत उसे अयोग्य करार ना किया गया हो।
- लिखित नामांकन, कम से कम एक सौ ऐसे शेयरधारकों द्वारा हस्ताक्षरित जो अधिनियम के तहत या उनके द्वारा विधिवत रूप से गठित अटर्नी द्वारा निदेशकों को चुनने के लिए पात्र हैं, बशर्ते ऐसे शेयरधारक द्वारा नामांकन जो एक कंपनी है, उस कंपनी के निदेशकों के संकल्प द्वारा किया जाना चाहिए और जहां ऐसे नामांकन किया जाता है, वहां उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा संकल्प की सत्यापित प्रति, जिसमें इसे पारित किया गया था, महाप्रबंधक (एमबीडी) को संबोधित करते हुए बैंक के कॉरपोरेट कार्यालय को प्रेषित की जाएगी तथा इस प्रकार की प्रति, ऐसी कंपनी की ओर से नामांकन मानी जाएगी।
- नामांकन के साथ, न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, एश्वोरेस के रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार या अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के समक्ष प्रत्याशी द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा संलग्न होनी चाहिए कि वह नामांकन को स्वीकार कर रहा/रही है तथा चुनाव में भाग लेने का/की इच्छुक है, तथा वह अधिनियम या योजना या विनियमों के अंतर्गत निदेशक बनने के लिए अयोग्य नहीं है व साथ में समुचित रूप से हस्ताक्षरित अपना व्यक्तिगत विवरण (बायो डाटा) इस शपथ के साथ लगाना चाहिए कि दिया गया समस्त विवरण उसके ज्ञान तथा विश्वासानुसार सत्य है तथा इस शपथ के साथ भी कि वो बैंक को किसी भी ऐसी घटना की जानकारी देगा जो सूचित करने योग्य है एवं घोषणा के बाद की है।
- नामांकन फार्म तथा घोषणा फार्म, विनियमों तथा संलग्न अनुबंध के अनुसार हैं (प्रारूप बैंक की वेबसाइट www.obcindia.co.in पर भी उपलब्ध है)।
- बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 या बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 या राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1980 या ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (शेयर एवं बँडकें) विनियमन, 1998 तथा भारतीय रिजर्व बैंक अधिसूचना- डीबीओडी.नं. बीसी. नं. 46/29.39.001/2007-08 तथा डीबीओडी. नं. बीसी. नं. 47/29. 39.001/2007-08 दिनांक 01.11.2007 तथा नं. डीबीआर.एपीपीटी.बीसी.नं. 39/29. 39.001/2016-17 दिनांक 02 नवंबर, 2016 के साथ पठित नं. डीबीओडी. बीसी नं. 95/29. 39.001/2010-11 दिनांक 23 मई, 2011 तथा भारत सरकार अधिसूचना सं. एफ.नं. 16/83/2013-बीओ.-I दिनांक 03 सितंबर, 2013 तथा गैर सरकारी निदेशक नियुक्त करने हेतु दिनांक 25 मार्च, 2015 को जारी भारत सरकार के दिशानिर्देश तथा दिनांक 08 जुलाई, 2016 को तदोपरांत संशोधन के अंतर्गत वह अयोग्य नहीं है।
- उसके द्वारा रखे गए शेयरों के संबंध में एरियर के लिए कोई कॉल नहीं है।

नामांकन फार्म जमा करना

केंद्र सरकार के अलावा, शेयरधारकों में से, बैंक के निदेशक के चुनाव लड़ने के इच्छुक शेयरधारक निम्न प्रस्तुत करेंगे :

- समुचित रूप से भरा हुआ घोषणा पत्र;
- चुनाव में भाग लेने के लिए पात्र कम से कम सौ शेयरधारकों से नामांकन फार्म;
 - संबंधित दस्तावेजों, प्रशंसापत्रों जैसे बायो-डाटा की स्वयं द्वारा सत्यापित प्रतियां, शैक्षणिक योग्यता के प्रमाणपत्र, अनुभव आदि के साथ, नोटिस के साथ संलग्न व्यक्तिगत सूचना, घोषणा तथा शपथपत्र महाप्रबंधक (एमबीडी), ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, कॉरपोरेट कार्यालय, प्लॉट नं. 5, सैक्टर-32, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम को सीलबंद लिफाफे में किसी कार्यदिवस पर असाधारण सामान्य बैठक के लिए निर्धारित तिथि से चौदह दिवस पहले तक अर्थात्; सोमवार 04 सितंबर, 2017 को सायं 5.00 बजे या उससे पहले प्राप्त हो जाना चाहिए।
 - कथित नामांकन फार्म तथा अन्य दस्तावेज सभी प्रकार से पूर्ण होने चाहिए तथा ऐसा न करने से नामांकन रद्द किया जा सकता है।

नामांकनों की जांच तथा निदेशकों का चुनाव

- i) बैंक द्वारा नामांकनों की जांच नामांकन प्राप्त करने हेतु निर्धारित तिथि के बाद पहले कार्यदिवस मंगलवार 05 सितंबर, 2017 को की जाएगी तथा यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाया जाता है तो, उसे कारणों को रिकार्ड में लेते हुए रद्द कर दिया जाएगा।

- ii) नामांकन, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिनांक 01 नवंबर, 2007 के 'उपयुक्त एवं सक्षम' दिशानिर्देशानुसार तथा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के मंडल पर गैर सरकारी निदेशकों के नामांकन हेतु दिशानिर्देशानुसार, मंडल की नामांकन समिति द्वारा की जाने वाली संवीक्षा के भी अध्यक्षीन होंगे।
- iii) बैंक नामांकन की संवीक्षा करते समय या मंडल की नामांकन समिति द्वारा दिए गए सुझावानुसार, प्रत्याशियों से उनकी उम्मीदवारी के पक्ष में अन्य सूचना, दस्तावेज मांग सकता है।
- iv) यदि चुनाव द्वारा रिक्तियां भरे जाने के लिए केवल तीन वैध नामांकन ही हैं, तो इस प्रकार से नामांकित प्रत्याशियों को तुरंत चयनित माना जाएगा तथा उनके नाम एवं पते चुने हुए प्रत्याशी के रूप में प्रकाशित किए जाएंगे। इस प्रकार की परिस्थिति में, असाधारण सामान्य बैठक का आयोजन नहीं किया जाएगा। नवनिर्वाचित निदेशक 30 सितंबर, 2017 को अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- v) यदि तीन से अधिक वैध नामांकन हैं तो, चुनाव होंगे तथा चुनाव में वोटों की अधिक संख्या प्राप्त करने वाले प्रत्याशी को चयनित माना जाएगा और उनके नाम समाचारपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे।

वोटिंग प्रक्रिया

जैसा कि पहले सूचित किया गया है शेयरधारक निदेशकों का चुनाव रिमोट ई-वोटिंग तथा बैठक में मतदान के माध्यम से नोटिस के नोट्स में यथावर्णित तरीके से किया जाएगा।

चुनाव की समग्र प्रक्रिया बैंक द्वारा नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी द्वारा आयोजित की जाएगी, जिसे बैंक द्वारा इस उद्देश्य हेतु एक स्वतंत्र परामर्शदाता नियुक्त किया गया है तथा केंद्र सरकार के नामिति द्वारा पर्यवेक्षक एवं द्वितीय संवीक्षक के रूप में उसका पर्यवेक्षण किया जाएगा।

नामांकन की वापसी

यदि कोई प्रत्याशी अपना नामांकन वापिस लेना चाहता है तो, वह बैंक के कार्य समय से पूर्व अर्थात्; 15 सितंबर, 2017 को सायं 5.00 बजे तक पत्र या फैंक्स भेजकर ऐसा कर सकता है।

विवाद

यदि कोई विवाद होता है तो, उसका निपटान ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (शेयर एवं बैंडके) विनियमन, 1998 के विनियम 67 के अनुसार किया जाएगा।

सारांश

लागू अधिनियम/योजना/विनियमन/अधिसूचना/दिशानिर्देश के प्रासंगिक अंशों का सारांश शेयरधारकों के लाभ के लिए संलग्न हैं।

निदेशकों का हित

बैंक के निदेशक अपनी शेयरधारिता की सीमा तक तथा ऐसे निदेशक जिन्होंने अपना नामांकन दायर किया है, उन्हें कारोबार की उपरोक्त मद से संबंधित या उसमें हित रखने वाला समझा जा सकता है।

निदेशक मण्डल के आदेश द्वारा

स्थान : गुरुग्राम

दिनांक : 11 अगस्त, 2017

मुकेश कुमार जैन

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

निदेशकों का चुनाव— प्रासंगिक अधिनियम, योजना तथा विनियमन आदि का सारांश

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण तथा अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9(3)(i) के अनुसार, शेयरधारक निदेशक की नियुक्ति, अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2B) के खंड (C) के अंतर्गत जारी पूंजी की सीमा तक की जाएगी।

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण तथा अंतरण) अधिनियम, 1980, राष्ट्रीकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1980 तथा इस संबंध में, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (शेयर एवं बैंडके) विनियमन, 1998 के संबंधित विनियमों की प्रासंगिक धाराएं, शेयरधारकों की जानकारी हेतु नीचे पुनः उद्धृत की जा रही हैं:

❖ बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949

वास्तविक हित— धारा 5 (एनई)

- (i) कंपनी के संबंध में, तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति या उसके पति या पत्नी या अव्यस्क बच्चे द्वारा लाभदायक हित रखना, भले अकेले या उसके साथ सांझा किए गए शेयरों में, भुगतान की गई राशि पांच लाख रुपए से अधिक हो या कंपनी की प्रदत्त पूंजी का दस प्रतिशत हो, जो भी कम हो।
- (ii) फर्म के संबंध में, तात्पर्य है किसी व्यक्ति या उसके पति या पत्नी या अव्यस्क बच्चे द्वारा लाभदायक हित रखना, भले अकेले या एक साथ, जो कथित फर्म के सभी भागीदारों द्वारा लगायी गई कुल पूंजी का दस प्रतिशत से अधिक दर्शाता है।

साझा निदेशकों का निषेध— धारा 16(1)

भारत में निगमित किसी भी बैंकिंग कंपनी में, कोई भी व्यक्ति जो किसी अन्य बैंकिंग कंपनी का निदेशक है, निदेशक मंडल के निदेशक के रूप में नहीं होंगे।

ऋण व अग्रिमों पर प्रतिबंध— धारा 20

- 1) बैंकिंग अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 77 में निहित विषय के विपरीत होने के बावजूद कोई भी बैंकिंग कंपनी:
 - क) स्वयं अपने शेयर की जमानत के आधार पर कोई ऋण या अग्रिम की स्वीकृति नहीं देगी। अथवा
 - ख) कंपनी निम्नलिखित में से किसी को या उनके हित में किसी को ऋण या अग्रिम प्रदान का वायदा नहीं करेगी:
 - i) अपने किसी भी निदेशक को,
 - ii) किसी भी प्रतिष्ठान को, जिसके निदेशक साझेदार, प्रबंधक, कर्मचारी या गारंटर बनने के इच्छुक हों,
 - iii) ऐसी किसी भी कंपनी को जो बैंकिंग कंपनी या कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 25 अंतर्गत अधिसूचित कंपनी की सहायिका न हो, या बैंकिंग कंपनी का निदेशक जिस सरकारी कंपनी या उसकी सहायिका या धारक कंपनी का निदेशक, प्रबंधन एजेंट, प्रबंधक, कर्मचारी या गारंटर है या जिसमें वह पर्याप्त रुचि रखता हो।
 - iv) ऐसे किसी भी व्यक्ति को, जो किसी निदेशक का साझेदार या गारंटर हो।
- 2) जहाँ किसी बैंकिंग कंपनी द्वारा कोई ऐसा ऋण या अग्रिम स्वीकृत हुआ है, जिसे स्वीकृत करने का वायदा पूरा नहीं किया जा सकता था, बशर्ते जिस दिन ऋण या अग्रिम को स्वीकृत किया गया, उस तिथि को उपखंड 1 की उपधारा (ख) लागू रहती या जिसे बैंकिंग कंपनी द्वारा बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 1968 (1968 का 58) की धारा 5 के लागू होने के बाद स्वीकृत किया गया है, लेकिन इसके लागू होने से पहले दर्ज प्रतिबद्धता के अनुसरण में बैंकिंग कंपनी द्वारा प्रदत्त ब्याज सहित कुल ऋण या अग्रिम, यदि कोई हो, तो उसकी बकाया राशि की वसूली के लिए ऋण या अग्रिम की स्वीकृति के समय निर्धारित अवधि के भीतर या जहाँ कोई भी अवधि निर्धारित नहीं की गई है, धारा 5 के लागू होने के एक वर्ष की समाप्ति के पूर्व आवश्यक कदम उठाए जाएँगे, यद्यपि किसी मामले में बैंकिंग कंपनी द्वारा रिजर्व बैंक को ऋण या अग्रिम की वसूली की अवधि के विस्तार के लिए लिखित रूप में दिए गए आवेदन के आधार पर रिजर्व बैंक तत्संबंधी नियमों व शर्तों के अधीन औचित्य के अनुरूप आवेदित तिथि तक समयावधि का विस्तार कर सकता है, जो कि धारा 5 के प्रारंभ से तीन साल की अवधि से अनधिक होगी :
बशर्ते यह उपखंड तब लागू नहीं होगी जब अथवा यदि संबंधित निदेशक, बैंकिंग कंपनी के निदेशक के कार्यालय को मृत्यु, सेवानिवृत्ति, इस्तीफा या अन्यथा किसी कारण से रिक्त कर देंगे।
- 3) उपखंड (2) में उल्लिखित कोई भी ऋण या अग्रिम या इसका कोई अंश, रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रेषित नहीं किया जाएगा, और इस अनुमोदन के बिना कोई भी प्रेषण शून्य और अप्रभावी होगा।
- 4) जहाँ उप-धारा (2) में निर्दिष्ट किसी भी व्यक्ति द्वारा देय कोई ऋण या अग्रिम, इस उप-धारा में निर्दिष्ट अवधि के भीतर बैंकिंग कंपनी को नहीं चुकाया गया है, और तत्समय यदि वह उस बैंकिंग कंपनी का निदेशक है, तो उक्त अवधि की समाप्ति की तिथि से उसके कार्यालय को रिक्त माना जाएगा।

इस धारा में व्याख्या—

- (i) “ऋण या अग्रिम” में ऐसे कोई लेनदेन शामिल नहीं होंगे जिन लेनदेनों की प्रकृति भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में लेनदेन की है, जिस अवधि के भीतर, और जिस तरीके से और परिस्थितियों में लेन—देन के खाते पर देय कोई राशि की वसूली होने की संभावना है, इस धारा के उद्देश्य से ऋण या अग्रिम न होते हुए जमाकर्ताओं और अन्य प्रासंगिक प्रतिफलों के हित सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट हैं;
 - (ii) “निदेशकों” में भारत के किसी मंडल या समिति का सदस्य शामिल हैं जिसे प्रबंधन या इसके सभी मामलों के प्रबंधन, इसके सभी या कोई संबंध में सलाह देने के उद्देश्य बैंकिंग कंपनी द्वारा गठित किया गया है।
- 5) यदि कोई प्रश्न उठता है कि इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई भी लेन—देन ऋण या अग्रिम है, तो इसे रिजर्व बैंक को भेजा जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

❖ बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1980

मताधिकारों पर प्रतिबंध

धारा 3(2E): बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकारों के दस प्रतिशत से ज्यादा धारित किसी शेयर के संबंध में केंद्र सरकार के अलावा बैंक के किसी भी शेयरधारक मतदाता को मताधिकार का अधिकार नहीं होगा।

निदेशक मंडल की संरचना

धारा 9(3)(i): जहाँ धारा 3 की उप-धारा (2 ख) के खंड (ग) के तहत जारी पूंजी:—

- (i) कुल प्रदत्त पूंजी का सोलह प्रतिशत से अनधिक, एक निदेशक
- (ii) कुल प्रदत्त पूंजी के सोलह प्रतिशत से अधिक, लेकिन कुल प्रदत्त पूंजी का बत्तीस प्रतिशत से अनधिक, दो निदेशक।
- (iii) कुल प्रदत्त पूंजी के बत्तीस प्रतिशत से अधिक, निदेशकों के बीच से केंद्र सरकार के अलावा शेयरधारकों द्वारा चुने जाने वाले तीन निदेशक।

बशर्ते कि इस खंड के तहत चुनाव के बाद ऐसे निदेशक के कार्यभार ग्रहण करने पर, खंड (एच) के तहत नामित निदेशकों की बराबर संख्या इस प्रकार से रिटायर की जाएगी, जैसा कि इस योजना में विनिर्दिष्ट है।

बशर्ते कि यदि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम व वित्तीय संस्थान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2006 के प्रारंभ पर या पहले, संबंधित नए बैंक में निदेशकों की संख्या उप-खंड (i) या उप-खंड (ii) या उप-खंड (iii) में निर्दिष्ट निदेशकों की संख्या से अधिक हो तो, जैसा कि मामला हो, प्रारंभ होने से पहले चुने गए ऐसे निदेशकों की अतिरिक्त संख्या ऐसे तरीके से रिटायर हो जाएगी, जो योजना में विनिर्दिष्ट है और ऐसे निदेशक अपने कार्यकाल की अवधि के समय से पहले सेवानिवृत्ति के लिए किसी भी मुआवजे का दावा करने का हकदार नहीं होंगे।

धारा 9(3A): उक्त धारा के तहत चुने जाने वाले निर्देशकों के पास—

क) निम्न विषयों में से किसी एक या अधिक विषय में विशेष ज्ञान या कार्य का अनुभव होना चाहिए—

- (i) कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था
- (ii) बैंकिंग
- (iii) सहकारिता
- (iv) अर्थशास्त्र
- (v) वित्त
- (vi) विधि
- (vii) लघु उद्योग
- (viii) किसी भी अन्य मामले में विशेष ज्ञान, और व्यावहारिक अनुभव, जो, रिजर्व बैंक के अनुसार बैंक के लिए उपयोगी सिद्ध होगा।

ख) जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो; या

ग) किसानों, मजदूरों और कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो।

धारा 9(3AA): उप-धारा 3(A) के प्रावधान के प्रति पूर्वाग्रह के बिना और वर्तमान में किसी भी अधिनियम या अन्य कानून में कुछ भी विपरीत निहित होने के बावजूद, कोई व्यक्ति उप-धारा (3) के खंड (i) के तहत निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के योग्य नहीं होगा, जब तक कि वह कार्य निष्पादन रिकॉर्ड, सत्यनिष्ठा और इस संबंध में रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित ऐसे अन्य मापदंडों के आधार पर 'फिट और उचित स्थिति वाला व्यक्ति' न हो।

धारा 9(3AB): रिजर्व बैंक उप-धारा 3 (AA) के तहत जारी अधिसूचना में, 'फिट और उचित स्थिति' का निर्धारण करने के लिए, ऐसे निर्धारण के तरीके, ऐसे निर्धारण के लिए पालन की जाने वाली प्रक्रिया और इसके अतिरिक्त ऐसे अन्य मामले जिन्हें आवश्यक या आकस्मिक माना जा सकता है, के लिए प्राधिकारी को निर्दिष्ट कर सकता है।

धारा 9(3बी): जहां रिजर्व बैंक यह समझता है कि उप-धारा (3) के खंड (i) के तहत निर्वाचित किसी संबंधित नए बैंक का कोई निदेशक उप-धारा (3A) और (3AA) की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है, यह ऐसे निदेशक एवं बैंक को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद अपने आदेश द्वारा ऐसे निदेशक को हटा सकती है एवं ऐसे निष्कासन पर निदेशक मंडल द्वारा हटाए गए व्यक्ति के स्थान पर निदेशक के रूप में उप-धारा (3A) और (3AA) की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले किसी भी अन्य व्यक्ति को आम सहमति से चुनेगा जब तक बैंक के शेरधारकों द्वारा अगली असाधारण आम बैठक में किसी निदेशक को विधिवत रूप से निर्वाचित किया जाता है और आम सहमति से चुने गए व्यक्ति को बैंक के शेरधारकों द्वारा विधिवत रूप से निर्वाचित किया गया निदेशक माना जाएगा।

निष्ठा एवं गोपनीयता का दायित्व:

धारा 13(2): प्रत्येक निदेशक, स्थानीय बोर्ड या समिति का सदस्य, या लेखा परीक्षक, सलाहकार, अधिकारी या बैंक का कोई अन्य कर्मचारी अपना कर्तव्य ग्रहण करने से पहले तीसरी अनुसूची में निर्धारित फार्म में निष्ठा और गोपनीयता की घोषणा करेगा।

❖ **राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1980**

निर्वाचित निदेशक के कार्यालय की अवधि

खंड 9 (4): एक निर्वाचित निदेशक तीन साल के लिए कार्यभार ग्रहण करेंगे और पुनःचुनाव के लिए पात्र होंगे।

बशर्ते, ऐसा कोई निदेशक छह वर्ष से अधिक की अवधि के लिए लगातार कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगे।

निदेशकों की अयोग्यता

खंड 10: किसी व्यक्ति को निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए और निदेशक बनने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा:—

- क) यदि उसे कभी दिवालिया घोषित किया गया हो या उसने लेनदारों का भुगतान निलंबित कर दिया हो लेनदारों का भुगतान न किया हो; या
- ख) यदि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और ऐसा सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित किया गया है; या
- ग) यदि वह एक अपराध जिसमें नैतिक अधमता शामिल है, के लिए आपराधिक न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है; या
- घ) यदि वह किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 के उप-धारा (1) के तहत गठित भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय स्टेट बैंक (सहयोगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा (3) के तहत किसी सहयोगी बैंक में बैंक के कर्मचारियों में से

अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) की धारा (e) और (f) के तहत नामांकित प्रबंध निदेशक और निदेशकों सहित लाभ का कोई पद (पूर्णकालिक निदेशक पद के अलावा) धारण करता है।

निदेशकों का पदभार रित्त करना

खंड 11:

1. यदि कोई निदेशक धारा 10 में विनिर्दिष्ट किसी भी अयोग्यता के अधीन हो जाता है या तीन से अधिक लगातार बैठकों में मंडल की छुट्टी के बिना अनुपस्थित रहता है, तो यह समझा जाएगा कि उसने अपना पदभार रित्त कर दिया है और उसके बाद उसका पदभार रित्त हो जाएगा।
2. अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा 3 के खंड (b) या खंड (c) या खंड (d) में विनिर्दिष्ट प्रबंध निदेशक, निदेशक सहित अध्यक्ष या पूर्णकालिक निदेशक केन्द्र सरकार को लिखित रूप में नोटिस देकर अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं और सरकार द्वारा इस्तीफा स्वीकार किए जाने पर पदभार रित्त समझा जाएगा; और कोई अन्य निदेशक केंद्र सरकार को नोटिस देकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है और ऐसा इस्तीफा केंद्र सरकार से इस्तीफे की प्राप्ति की सूचना पर प्रभावी होगा।
3. पूर्वगामी उपखंडों के प्रावधानों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा 3 के खंड (ई) या खंड (एफ) में विनिर्दिष्ट निदेशक का पदभार रित्त हो जाएगा जैसे ही वह राष्ट्रीयकृत बैंक का कर्मकार या कर्मचारी नहीं रहता है, जिसका वह निदेशक है, तो निदेशक का कार्यकाल खत्म हो जाएगा।
4. जहां किसी निर्वाचित निदेशक के अलावा किसी निदेशक के कार्यालय में कोई रित्त होती है तो वह अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के अनुसार भरी जाएगी।

निर्वाचित निदेशक को पद से हटाना

खंड 11ए:

धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (i) के तहत केंद्र सरकार के अलावा ऐसे शेयरधारक जो सभी शेयरधारकों द्वारा धारित कुल पूंजी का कम से कम आधा भाग रखते हैं, मतों के बहुमत द्वारा एक संकल्प पारित करके किसी निर्वाचित निदेशक को हटा सकते हैं एवं रित्त को भरने के लिए उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति कर सकते हैं।

निर्वाचित निदेशक की रित्त को भरना

खंड 11बी:

1. यदि निर्वाचित निदेशक की पदावधि की समाप्ति से पहले कोई रित्त होती है तो रित्त चुनाव के द्वारा भरी जाएगी। बशर्ते, यदि रित्त की अवधि छः माह से कम होने की संभावना है तो शेष निदेशकों में से रित्त को भरा जा सकता है।
2. एक निर्वाचित या आम सहमति से चुना हुआ व्यक्ति, जैसा भी हो, उप खंड (1) के तहत अपने पूर्ववर्ती निदेशक की अवधि के बचे हुए कार्यकाल के लिए पद धारण करेगा।

निदेशकों द्वारा हित का प्रकटन

खंड 12(8)

एक निदेशक जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीयकृत बैंक की ओर से या उसके द्वारा दर्ज किए गए या किए जाने वाले किसी अनुबंध, ऋण, आयोजन या प्रस्ताव में हित रखता है तो प्रासंगिक परिस्थितियों के उसके संज्ञान में आने के बाद, यथाशीघ्र मंडल को अपने हित प्रकृति को प्रकट करेगा और बोर्ड की बैठक में उपस्थित नहीं होगा, जहां ऐसे किसी अनुबंध, ऋण, आयोजन या प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया जाता है, जब तक कि उसकी उपस्थिति अन्य निदेशकों द्वारा सूचना प्राप्त करने के उद्देश्य से जरूरी न हो, और ऐसा कोई निदेशक किसी ऐसे अनुबंध, ऋण, आयोजन या प्रस्ताव पर वोट नहीं करेगा:

बशर्ते कि इस उपखंड में निहित कुछ भी ऐसे निदेशक पर केवल उसके निम्न लिखित होने के कारण ही लागू होगा:

1. यदि एक शेयरधारक (निदेशक के अतिरिक्त) कंपनी एक्ट, 1956 (1956 का 1), के तहत परिभाषित लोक कंपनी या कुछ समय के लिए भारत में प्रचलित किसी कानून के तहत या स्थापित किसी कंपनी में या किसी सहकारी संस्था जिसके साथ राष्ट्रीयकृत बैंक ने अनुबंध, ऋण, आयोजन या प्रस्ताव के लिए करार किया है या होना प्रस्तावित है, में प्रदत्त पूंजी के दो प्रतिशत से अनधिक शेयर धारण करता है; या
2. एक अधिकारी या राष्ट्रीयकृत बैंक का अन्य कर्मचारी, यदि वह अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा 3 के खंड (E) या खंड (F) में एक विनिर्दिष्ट निदेशक है।

❖ ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (शेयर व बैठक) विनियम, 1988

संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग:

विनियम 10:

अगर कोई शेयर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम पर है, तो रजिस्टर में पहला नामित व्यक्ति मतदान, लाभांश प्राप्त करने, नोटिस देने और सभी या किसी भी अन्य मामले (स्थानांतरण के अलावा) जो ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स से जुड़े हैं, करने के लिए इसका एकमात्र धारक माना जाएगा।

आम बैठक में चुने जाने वाले निदेशक

विनियम 63

- (i) धारा 9 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत निदेशक, केंद्र सरकार के अलावा, शेयरधारकों द्वारा रजिस्टर पर, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स की आम बैठक में, उन्हीं के बीच से चुने जाएंगे।
- (ii) यदि किसी आम बैठक में निदेशक का चुनाव आयोजित होने वाला है, तो उसका नोटिस बैठक के आयोजन में शामिल किया जाएगा। ऐसा प्रत्येक नोटिस निर्वाचित होने वाले निदेशकों की संख्या और रिक्तियों का विवरण, जिनमें से चुनाव होना है, को निर्दिष्ट करेगा।

शेयरधारकों की सूची

विनियम 64

- i) इन विनियमों के विनियम 63 के उप-विनियम (i) के तहत एक निदेशक के चुनाव के प्रयोजन के लिए, रजिस्टर से शेयरधारकों की एक सूची तैयार की जाएगी जिनके द्वारा निदेशक को चुना जाना है।
- ii) सूची में शेयरधारकों के नाम, उनके पंजीकृत पते, नंबर और जिस तारीख पर शेयर पंजीकृत किए गए थे, के साथ उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या दर्शाई जाएगी, और उन मतों की संख्या जिसके लिए वे बैठक के लिए निर्धारित तिथि, जहां पर चुनाव होगा के हकदार होंगे, और सूची की प्रतियां प्रधान कार्यालय से आवेदन करने पर बैठक के लिए तय की गई तारीख से कम से कम तीन हफ्ते पहले मंडल या प्रबंध समिति द्वारा निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध होंगी।

चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नामांकन:

विनियम 65:

- i) निदेशक के रूप में चुनाव के लिए किसी उम्मीदवार का नामांकन मान्य नहीं होगा जब तक कि,
 - वह ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स में कम से कम 100 (एक सौ) शेयर नहीं रखता है;
 - नामांकन प्राप्त की अंतिम तिथि पर अधिनियम या योजना के तहत उसे निदेशक होने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया गया है;
 - उसने अकेले या दूसरों के साथ संयुक्त रूप से धारित बैंक के शेयरों के संबंध में सभी प्रकार निर्धारित अंतिम तिथि पर या उससे पहले का भुगतान कर दिया है;
 - नामांकन पर लिखित में ऐसे कम से कम सौ शेयरधारकों या उनके विधिवत गठित अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं, जो अधिनियम के तहत निदेशकों का चयन करने के लिए हकदार हैं, बशर्ते कि ऐसा शेयरधारक जो कंपनी हो, द्वारा किया गया नामांकन उक्त कंपनी के निदेशकों द्वारा पारित संकल्प द्वारा किया जा सकता है और जहां ऐसा किया जाता है, उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित संकल्प की एक सत्यप्रति, जिस पर ऐसा पारित किया गया हो, को ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स बैंक के प्रधान कार्यालय को भेजा जाएगा और ऐसी प्रति को उक्त कंपनी की ओर से नामांकन समझा जाएगा;
 - नामांकन के साथ या उसमें न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, निबंधक या बीमा के उप-निबंधक या अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के एक अधिकारी के समक्ष उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षरित एक घोषणा पत्र शामिल होगा, कि वह नामांकन स्वीकार करता है और चुनाव में लड़ने के लिए तैयार है, और अधिनियम या योजना या इन विनियमों के तहत उसे निदेशक होने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया गया है।
 - कोई नामांकन तब तक मान्य नहीं होगा, जब तक कि सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ यह बैंक के प्रधान कार्यालय में बैठक के लिए निर्धारित तारीख से चौदह दिन पहले किसी कार्य दिवस पर प्राप्त न हुआ हो।

नामांकनों की जांच:

विनियम 66:

- (i) नामांकन प्राप्त की निर्धारित तारीख के बाद प्रथम कार्य दिवस पर नामांकन की जांच की जाएगी और यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाया जाता है, तो उसका कारण दर्ज करने के बाद उसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा। यदि चुनाव द्वारा भरने के लिए किसी विशेष रिक्ति के लिए केवल एक वैध नामांकन प्राप्त होता है, तो तत्काल ही नामांकित अभ्यर्थी को निर्वाचित समझा जाएगा और उसका नाम और पता निर्वाचित के रूप में प्रकाशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में इस उद्देश्य के लिए बुलाई गई बैठक में कोई भी चुनाव नहीं होगा और यदि बैठक को पूरी तरह से उक्त चुनाव के प्रयोजन के लिए बुलाया गया हो, तो इसे रद्द कर दिया जाएगा।
- (ii) चुनाव आयोजित होने की स्थिति में, यदि वैध नामांकन, चुने जाने वाले निदेशकों की संख्या से अधिक होता है, तो बहुमत पाने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित माना जाएगा।
- (iii) वर्तमान रिक्ति को भरने के लिए चुने गए निदेशक को पदभार ग्रहण करने उस तिथि से कार्यभार ग्रहण किया समझा जाएगा जिसके बाद वह निर्वाचित हुआ हो या माना गया हो।

चुनावी विवाद:

विनियम 67:

- (i) यदि कोई संदेह या विवाद किसी व्यक्ति की योग्यता या अयोग्यता के रूप में उठता है, या निर्वाचित होने के लिए घोषित किया जाता है, या निदेशक के चुनाव की वैधता के रूप में, कोई रुचि रखने वाला व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को उम्मीदवार या शेयरधारक के रूप में वोट देने का हकदार व्यक्ति, ऐसे चुनाव परिणाम की घोषणा के सात दिनों के भीतर, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को लिखित रूप में सूचित कर सकता है और उस सूचना में उन आधारों का पूरा विवरण देना होगा जिसके कारण उसे चुनाव की वैधता पर संदेह या विवाद है।
- (ii) उप-विनियमन (i) के तहत सूचना प्राप्त होने पर, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक या उसकी अनुपस्थिति में, बैंक के कार्यकारी निदेशक ऐसे संदेह व विवाद को निर्णय के लिए तत्काल एक समिति को भेजेंगे, जिसमें अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक होंगे या उनकी अनुपस्थिति में कार्यकारी निदेशक और अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (बी) और (सी) के तहत नामित कोई दो निदेशक होंगे।
- (iii) उप-विनियमन (ii) में विनिर्दिष्ट समिति अपनी आवश्यकतानुसार जांच करेगी और यदि यह पता चलता है कि चुनाव एक वैध चुनाव था, तो वह चुनाव के घोषित परिणामों की पुष्टि करेगी, या यदि यह पता चलता है कि चुनाव एक वैध चुनाव नहीं था, तो यह जांच के प्रारंभ करने के तीस दिनों के भीतर, आदेश करेगी और नए चुनाव कराने सहित ऐसे निर्देश देगी, जैसा कि परिस्थितियों में केवल समिति को प्रतीत होगा।
- (iv) इस विनियमन के अनुसरण में ऐसी समिति का आदेश और निर्देश अंतिम होगा।

शेयरधारकों के मतदान अधिकार:

मतदान के अधिकार का निर्धारण:

विनियम 68:

- i) अधिनियम की धारा 3 (2ई) में निहित प्रावधानों के अधीन, ऐसी बैठक में, प्रत्येक शेयरधारक, जिसे आम बैठक की तिथि से पहले रजिस्टर बंद होने की तिथि को एक शेयरधारक के रूप में पंजीकृत किया गया है, के पास हाथ उठाने का एक वोट होगा और मतदान के मामले में उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट होगा।
- ii) अधिनियम की धारा 3 (2ई) में निहित प्रावधानों के अधीन, प्रत्येक शेयरधारक उपर्युक्त रूप से वोट करने का हकदार है, जो एक कंपनी नहीं है, वह व्यक्ति या प्रॉक्सी के रूप में मौजूद है या जो कंपनी है वह किसी अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मौजूद है या प्रॉक्सी द्वारा हाथ उठाने का एक वोट होगा और मतदान के मामले में उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट होगा जैसा कि उप-विनियमन (i) में वर्णित है।
स्पष्टीकरण— इस अध्याय के लिए, “कंपनी” का अर्थ किसी कॉरपोरेट निकाय से है।
- iii) आम बैठक में भाग लेने और वोट देने के हकदार बैंक के शेयरधारकों को एक अन्य व्यक्ति को (चाहे वह शेयरधारक हो या नहीं) अपने स्थान पर भाग लेने व मतदान करने के लिए प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करने का अधिकार होगा; लेकिन नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा।

विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान:

विनियम 69:

- i) एक शेयरधारक, केंद्र सरकार या एक कंपनी होने के नाते, एक संकल्प द्वारा, जैसा कि मामला हो सकता है, शेयरधारकों की किसी भी आम बैठक में किसी भी अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को अपने प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है (इन नियमों में “विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि” के रूप में विनिर्दिष्ट), प्राधिकृत व्यक्ति केंद्र सरकार या कंपनी की ओर से उसी शक्ति का प्रयोग करने का हकदार होगा जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है, जैसा कि यदि वह बैंक का एक व्यक्तिगत शेयरधारक होता। इस प्रकार दिया गया प्राधिकार वैकल्पिक रूप से दो व्यक्तियों के पक्ष में हो सकता है और ऐसे मामले में ऐसे व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति केंद्र सरकार/कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सकता है।
- ii) कोई भी व्यक्ति बैंक के शेयरधारकों की किसी भी बैठक में कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में भाग या मतदान नहीं कर सकता है जब तक कि उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने के संकल्प की एक प्रति उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा जिस बैठक में यह संकल्प पारित किया गया था, प्रमाणित एक सत्य प्रतिलिपि बैंक के प्रधान कार्यालय में बैठक के लिए निर्धारित तिथि से चार दिन पहले जमा नहीं किया गया हो।

❖ भारतीय रिजर्व बैंक के फिट व उचित मानदंड दिशानिर्देश:

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), ने बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उप-धाराओं (3AA) और (3AB) के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना डीबीओडी बीसी सं. 46 व 47/29.39.001/2007-08 दिनांक नवम्बर 01, 2007 जारी की है। इसके द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्धारित किया है कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 (3)(i) के प्रावधानों के तहत बैंकों के मण्डल में निदेशकों के रूप में चुने जाने के लिए व्यक्तियों को विशिष्ट “फिट और उचित” मानदंड पूरा करना होगा।

दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएं

“योग्य और उचित” स्थिति आदि का निर्णय लेने के लिए प्राधिकारी, कार्यप्रणाली/मानदंड, निम्नानुसार हैं:

क) प्राधिकारी:

सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को निदेशक मंडल में से कम से कम तीन निदेशकों (सभी स्वतंत्र/गैर-कार्यकारी निदेशक) को मिलाकर “नामांकन समिति” का गठन करना आवश्यक है। निदेशक मंडल को उनमें से किसी एक को नामांकन समिति के अध्यक्ष के रूप में भी नामित करना चाहिए। अध्यक्ष सहित आवश्यक कोरम की संख्या तीन है। पहले से ही नामित किसी सदस्य की अनुपस्थिति के मामले में, निदेशक मंडल की आगामी बैठक के लिए किसी अन्य स्वतंत्र निदेशक को उनके स्थान पर नामित किया जा सकता है। नामांकन समिति के गठन के समय मंडल इसके कार्यकाल का निर्णय ले सकता है।

ख) तरीका व प्रक्रिया:

नामांकन समिति को मौजूदा निर्वाचित निदेशकों/अधिनियम की धारा 9 (3)(i) के तहत निदेशक के रूप में चुना जाने वाला व्यक्ति, के ‘योग्य और उचित’ स्थिति का निर्धारण करने के लिए समुचित सावधानी की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। इस उद्देश्य के लिए, बैंकों को मौजूदा निर्वाचित निदेशक/व्यक्तियों से संलग्न प्रारूप में (अनुलग्नक-1) आवश्यक जानकारी और घोषणापत्र प्राप्त करना चाहिए, जो चुनाव के लिए अपना नामांकन करते हैं। नामांकन समिति को उम्मीदवार के निर्वाचन के मामले में नामांकन स्वीकार करने की अंतिम तिथि से पहले बैठक करनी चाहिए और निर्णय लेना चाहिए कि व्यक्ति की उम्मीदवारी को निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर स्वीकार किया जाना चाहिए या नहीं। समिति की चर्चा को बैठक के औपचारिक कार्यवृत्त के रूप में उचित रूप से दर्ज किया जाना चाहिए और यदि मतदान किया गया हो तो मौजूदा तथा प्रस्तावित दोनों निदेशकों के मामले में नोट भी किया जाना चाहिए। हस्ताक्षरित घोषणापत्र में उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर, नामांकन समिति को उम्मीदवार की स्वीकृति या अन्यथा पर निर्णय लेना चाहिए और इंगित आवश्यकताओं के साथ उनका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए यदि आवश्यक हो उपयुक्त प्राधिकारी/व्यक्तियों से राय भी ली जानी चाहिए।

ग) मानदंड

नामांकन समिति को नीचे उल्लिखित व्यापक मानदंडों के आधार पर मौजूदा निर्वाचित निदेशक/प्रस्तावित उम्मीदवारों के ‘योग्य और उचित’ स्थिति का निर्धारण करना चाहिए:

- शैक्षिक योग्यता
 - अनुभव और विशेषज्ञता का क्षेत्र
 - ट्रैक रिकॉर्ड व सत्यनिष्ठा
- (उपरोक्त सूची केवल दृष्टांतपरक है संपूर्ण नहीं)

नामांकन समिति को यह देखना चाहिए कि क्या उपर्युक्त मानदंडों का गैर-अनुपालन मौजूदा निर्वाचित निदेशक/प्रस्तावित उम्मीदवार को बैंक के मंडल में निदेशक के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन करने में बाधा पहुंचाएगा। इसके अलावा, किसी प्राधिकरण/नियामक एजेंसी के प्रतिकूल नोटिस पर आने वाले उम्मीदवार या किसी बैंक या वित्तीय संस्थान से कोई ऋण चूक या दिवालियापन मंडल में निदेशक बनने के लिए अयोग्य व असंगत बनाएगा।

घ) अन्य विषय

जनता के हित में यह सुनिश्चित किया जाना वांछित है कि निर्वाचित निदेशक संपत्ति संबंधी विलेख निष्पादित करें (भारतीय रिजर्व बैंक परिपत्र डीबीओडी. सं. बीसी 116/08. 139. 001/2001-02 दिनांक 20 जून 2002 के माध्यम से डॉ. गांगुली समूह द्वारा संस्तुत) तथा प्रतिवर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार भी विलेख निष्पादित करें।

यह भी अनिवार्य है कि सभी निर्वाचित निदेशक प्रतिवर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार एक साधारण घोषणा पत्र दें कि उनके द्वारा पहले से उपलब्ध करायी गयी जानकारी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, और यदि कोई परिवर्तन होता है तो निदेशकों द्वारा उसका अपेक्षित ब्यौरा अविलंब प्रस्तुत किया जाएगा। यदि काफी महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं तो नामांकन समिति पुनः उचित मूल्यांकन की कार्रवाई करेगी और निदेशक की ‘योग्य एवं उचित’ स्थिति की जांच करेगी।

❖ अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के चयन के लिए दिशा-निर्देश

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं इत्यादि के निदेशक मंडलों में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के नामांकन के लिए निम्नलिखित मानदंड अपनाए जाएं।

सामान्य

- नामांकन प्रासंगिक अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों को ध्यान में रख कर किए जाएंगे।
- नामितियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन औपचारिक अर्हता एवं विशेषज्ञता, पिछले रिकॉर्ड, सत्यनिष्ठा इत्यादि के आधार पर किया जा सकता है। सत्यनिष्ठा एवं उपयुक्तता का मूल्यांकन नामितों के आपराधिक रिकॉर्ड, वित्तीय स्थिति, व्यक्तिगत ऋणों की वसूली के लिए की गयी दीवानी कार्रवाई, व्यावसायिक निकायों में प्रवेश की अनुमति न होना अथवा उनसे निष्कासन, विनियामकों एवं समान निकायों द्वारा लगाये गये प्रतिबंध एवं पिछले शंकास्पद व्यवसाय इत्यादि से संबंधित जानकारी के आधार पर किया जाएगा।

अनुभव

- सामान्यतः, विशेष शैक्षणिक प्रशिक्षण अथवा कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग को-ऑपरेशन, अर्थशास्त्र, व्यवसाय प्रबंधन, मानव संसाधन, वित्त, कॉरपोरेट विधि, जोखिम प्रबंधन, उद्योग एवं सूचना प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञता-प्राप्त व्यक्तियों पर विचार किया जाएगा। वरिष्ठ स्तर पर 20 वर्षों का उद्योग-अनुभव, संबंधित क्षेत्रों में स्थापित विशेषज्ञता (किसी प्रतिष्ठित संस्था का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया हो, किसी बदहाल संस्था की कायापलट की हो) को तरजीह दी जाएगी।
- 20 वर्षों के कुल अनुभव वाले सेवानिवृत्त वरिष्ठ सरकारी पदाधिकारी तथा न्यूनतम 10 वर्षों के अनुभव वाले संयुक्त सचिव एवं उससे उच्चतर अधिकारी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सेवानिवृत्त अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/कार्यकारी निदेशक, सेवानिवृत्ति के एक वर्ष बाद। जिस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक से पूर्व-अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/पूर्व-कार्यकारी निदेशक सेवानिवृत्त हुए हों, उस सार्वजनिक क्षेत्र बैंक में गैर सरकारी निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए उनके नाम पर विचार नहीं किया जाएगा। किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में सेवारत अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/कार्यकारी निदेशक की किसी भी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।
- प्रमुख प्रबंधन/बैंकिंग संस्थानों के 20 वर्षों से अधिक अनुभव वाले शिक्षाविद् निदेशक एवं प्रोफेसर।
- 20 वर्षों के अनुभव (लेखापरीक्षा के अनुभव के अतिरिक्त) वाले सनदी लेखाकारों को भी तरजीह दी जाएगी।
- तथापि, अपवादात्मक स्थितियों में, मामले की गुणवत्ता के आधार पर वित्त मंत्री के अनुमोदन से अनुभव संबंधी मानदंडों में ढील दी जा सकती है।
- महिलाओं एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को भी यथासंभव प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है।

शिक्षा

- उम्मीदवार, शिक्षा के किसी भी क्षेत्र में कम-से-कम स्नातक हो और विशेषतः व्यवसाय प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, वित्त, मानव संसाधन और सूचना प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञता-प्राप्त हो।

आयु

- निदेशक की आयु 67 वर्ष से अधिक न हो।

कार्य का अनुभव

- प्रोफेशनलों/शिक्षाविदों को सामान्यतः अपने क्षेत्र-विशेष में 20 वर्षों का कार्य-अनुभव होना चाहिए।

सेवा-अवधि

- किसी बैंक/वित्तीय संस्था/ भारतीय रिज़र्व बैंक/बीमा कंपनी के निदेशक मंडल में नामांकन के लिए उन गैर-सरकारी निदेशकों पर विचार नहीं किया जाएगा, जिन्होंने पहले ही किसी अन्य बैंक/वित्तीय संस्था/भारतीय रिज़र्व बैंक/बीमा कंपनी के निदेशक मंडल में गैर-सरकारी निदेशक/शेयरधारक निदेशक के रूप में निरंतर अथवा सविराम 6 वर्षों की सेवा दी हो।

अयोग्यता

- किसी बैंक/वित्तीय संस्था भारतीय रिज़र्व बैंक/बीमा कंपनी में पहले से ही किसी भी श्रेणी में निदेशक पद पर नियुक्त व्यक्ति पर किसी अन्य बैंक/वित्तीय संस्था/ भारतीय रिज़र्व बैंक/बीमा कंपनी के गैर-सरकारी निदेशक के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
- किराया खरीद, वित्तपोषण, निवेश, लीजिंग और अन्य परा-बैंकिंग कार्यकलापों से जुड़े व्यक्तियों, सांसदों, विधायकों, शेयर ब्रोकरों को किसी बैंक/वित्तीय संस्था/भारतीय रिज़र्व बैंक/बीमा कंपनी के निदेशक मंडल में गैर-सरकारी निदेशक के पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। किराया खरीद, वित्त पोषण-निवेश, पट्टा किराया और अन्य परा-बैंकिंग कार्यकलापों के निवेशकों को गैर-सरकारी निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा, बशर्ते कि उनका ऐसी कंपनियों में कोई प्रबंधकीय नियंत्रण न हो।
- किसी बैंक/वित्तीय संस्था/भारतीय रिज़र्व बैंक/बीमा कंपनी के निदेशक मंडल में गैर-सरकारी निदेशक के रूप में ऐसे किसी व्यक्ति को पुनःनामित नहीं किया जाएगा, जिसमें उसने पहले किसी भी श्रेणी में निदेशक के पद पर, पूरी सेवा-अवधि अथवा 6 वर्षों के लिए, जो भी अधिक हो, के लिए कार्य किया हो।

व्यावसायिक प्रतिबंध

- राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध) प्रावधान योजना, 1970 के खंड 10(डी) के अधीन किसी सार्वजनिक क्षेत्र बैंक में लाभ के पद से संबंधित व्यावसायिक प्रतिबंध के विषय की अलग से जांच की जा सकती है।
- यदि कोई सनदी लेखाकार फर्म वर्तमान में किसी सार्वजनिक क्षेत्र बैंक में सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षक के रूप कार्य कर रही है तो उस सनदी लेखाकार फर्म का कोई भी साझेदार किसी राष्ट्रीयकृत/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। यदि कोई सनदी लेखाकार फर्म वर्तमान में किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में सांविधिक शाखा लेखापरीक्षक अथवा समवर्ती लेखापरीक्षक के रूप कार्य कर रही है तो उस सनदी लेखाकार फर्म का कोई भी साझेदार किसी राष्ट्रीयकृत/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।



ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स

प्रधान कार्यालय : हर्षा भवन, ई-ब्लॉक, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली – 110001
कॉरपोरेट कार्यालय : प्लॉट नं. 5, सेक्टर-32, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम-122001

नामांकन फॉर्म

सेवा में,
प्रबंध निदेशक एवं सी.ई.ओ.,
ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स
कॉरपोरेट कार्यालय, गुरुग्राम
प्रिय महोदय,

निदेशकों का निर्वाचन

आपके दिनांक **11.08.2017** के नोटिस के संदर्भ में, मैं, ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स का शेयरधारक, जिसके पास शुक्रवार, 25 अगस्त, 2017, अर्थात् चुनाव में भाग लेने के लिए निर्दिष्ट तारीख/अंतिमतिथि को ₹ 10/- प्रति शेयर (पूर्णतः चुकता) के इक्विटी शेयर हैं, एतद् द्वारा श्री / श्रीमती पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री आवासीय पता को दिनांक 19 सितंबर, 2017 को आयोजित होने वाली बैंक के शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक में बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9(3)(i) के प्रावधानों के अधीन, बैंक के शेयरधारकों के प्रतिनिधि के रूप में ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के लिए नामांकित करता/करती हूँ।

नाम	
हस्ताक्षर	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो नं. (यदि अमूर्त न हो तो)	
डीपी आईडी सं. एवं क्लाइंट आईडी सं. (यदि अमूर्त हो तो)	
स्थान	
तारीख	

नोट:

- यदि नामांकन किसी कॉरपोरेट निकाय द्वारा किया गया है तो नामांकन फॉर्म के साथ निदेशक मंडल द्वारा पारित संकल्प की प्रमाणित सही प्रति, उस बैठक, जिसमें संकल्प पारित हुआ है, के अध्यक्ष के हस्ताक्षर के अधीन, प्रेषित की जाएगी।
- उम्मीदवार को नामांकित करने वाले शेयरधारकों का हस्ताक्षर बैंक के शेयर अंतरण एजेंट के पास उपलब्ध नमूना हस्ताक्षर से मिलना चाहिए।
- यदि उपर्युक्त में से कोई कॉलम खाली छोड़ा गया है अथवा दिया गया ब्यौरा गलत पाया जाता है तो नामांकन अस्वीकृत हो जाएगा।



ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

प्रधान कार्यालय : हर्षा भवन, ई-ब्लॉक, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली - 110001
कॉरपोरेट कार्यालय : प्लॉट नं. 5, सेक्टर-32, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम-122001

घोषणा

मैं, ... श्री / श्रीमती का पुत्र / पुत्री / पत्नी,
निवासी एतद द्वारा पुष्टि करता / करती हूँ कि:

- क) मैं बैंक का एक शेयरधारक हूँ, मेरे पास **शुक्रवार, 25 अगस्त, 2017** तक अर्थात् चुनाव में भाग लेने की निर्दिष्ट तिथि / अंतिम तारीख तक इक्विटी शेयर हैं और यदि मैं बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होता हूँ तो उन्हें कार्यकाल समाप्त होने तक धारण करने का वचन देता हूँ, और
- ख) मुझे (i) कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, (ii) बैंकिंग, (iii) सहकारिता, (iv) अर्थशास्त्र, (v) वित्त (vi) कानून (vii) लघु उद्योग (viii) सूचना प्रौद्योगिकी (ix) भुगतान एवं निपटान प्रणाली (x) मानव संसाधन (xi) जोखिम प्रबंधन तथा (xii) कारोबार प्रबंधन में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है अथवा किसी अन्य विषय का विशेष ज्ञान एवं व्यावहारिक अनुभव है जो भारतीय रिजर्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी होगा और मैं, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9 की उप-धारा 3A के अनुरूप, जमाकर्ताओं या किसानों, श्रमिकों और कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हूँ तथा इसके प्रमाण के रूप में, संबंधित दस्तावेज* इसके साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ, और
- ग) मैं नामांकन संख्या को स्वीकार करता हूँ और
- घ) मैं, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के निदेशकों के चयन हेतु चुनाव लड़ने को तैयार हूँ, और
- ङ) मुझे, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1980, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1980, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (शेयर और बँडों) विनियम, 1998 एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अधिसूचना, तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के गैर-सरकारी निदेशकों के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंक का निदेशक होने के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।
- च) मैं न तो लाभ का कोई पद धारण करता हूँ और न ही मैं किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत गठित भारतीय स्टेट बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में परिभाषित किसी भी अनुषंगी बैंक का कर्मचारी हूँ और
- छ) मुझे किसी भी समय दिवालिया घोषित नहीं किया गया अथवा मैंने भुगतान में विलम्ब नहीं किया अथवा लेनदारों के भुगतान में चूक नहीं की है, और
- ज) मुझे मानसिक रूप से अस्वस्थ नहीं पाया गया है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा फैसला नहीं सुनाया गया है और सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है और मुझे किसी आपराधिक न्यायालय द्वारा नैतिक भ्रष्टाचार संबंधी किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है, और
- झ) मैं किसी प्रकार की किराया-खरीद, वित्तपोषण, निवेश, पट्टे और अन्य पैरा-बैंकिंग गतिविधियों से नहीं जुड़ा हूँ और न ही मैं सांसद / विधायक / विधान परिषद सदस्य / स्टॉक ब्रोकर हूँ, और
- ञ) मुझे किसी भी आर्थिक अधिकारी अथवा न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य न्यायालय द्वारा उद्घोषित अपराधी घोषित नहीं किया गया है, और
- ट) मैं किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या वित्तीय संस्थान अथवा भारतीय रिजर्व बैंक अथवा बीमा कंपनी में निदेशक नहीं हूँ, और
- ठ) मैं पूर्व में किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या वित्तीय संस्थान अथवा भारतीय रिजर्व बैंक अथवा बीमा कंपनी में किसी भी श्रेणी में दो अवधि अथवा छः वर्ष, जो भी अधिक हो, के लिए लगातार अथवा रुक-रुक कर निदेशक नहीं रहा हूँ, और

- ड) मैं पूर्व में इस बैंक के बोर्ड में, किसी भी श्रेणी के तहत दो अवधि अथवा छः वर्ष (जो भी अधिक हो) के लिए निदेशक नहीं रहा हूँ और
- ढ) मैं निर्वाचित होने पर तत्काल बैंक से व्यावसायिक संबंध तोड़ लूंगा, यदि कोई हो, तथा निदेशक के रूप में और मेरे कार्यकाल के दौरान और इसके दो वर्ष बाद तक, मैं बैंक के साथ कोई व्यावसायिक संबंध नहीं रखूंगा, और
- ण) मैं घोषणा करता हूँ कि निदेशक के रूप में मेरे चयन के पश्चात्, मेरे द्वारा प्रतिज्ञापत्र में दी गई जानकारी अथवा इसे प्रभावित करने वाली कोई घटना घटित होती है, जिसका मेरे द्वारा की गई इस घोषणा पर प्रभाव पड़ता है तो मैं यथाशीघ्र इसकी सूचना बैंक को दूंगा और
- प) मैं घोषणा करता हूँ कि बैंक के निदेशक पद पर रहने के दौरान, मैं सेबी विनियम, 2015 (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) के प्रासंगिक एवं यथा संशोधित प्रावधानों का पालन करूंगा, और
- फ) मैं, अन्य कंपनियों/ बैंकों में अपने वर्तमान एवं पूर्व-निदेशक का विवरण निम्नानुसार दे रहा हूँ :

कंपनी का नाम, बैंक, आदि	निदेशक का विवरण यथा: कार्यकाल/अवधि इत्यादि

यदि आवश्यक हो तो, अतिरिक्त पृष्ठ लगाएं।

मैं अपनी व्यक्तिगत जानकारी, व्यक्तिगत सूचना, घोषणा एवं वचन-प्रपत्र में संलग्न कर रहा हूँ, जो मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य एवं सभी प्रकार पूर्ण है।

नाम	
हस्ताक्षर	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो नं. (यदि अमूर्त नहीं है)	
डीपी आईडी नंबर और ग्राहक आईडी नंबर (यदि अमूर्त है)	
स्थान	
तारीख	

उपरोक्त घोषणा पर मेरे सामने श्री/श्रीमती ने हस्ताक्षर किए

न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार अथवा एश्वोरेंस उप-रजिस्ट्रार, अथवा अन्य राजपत्रित अधिकारी अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी की मुहर के साथ हस्ताक्षर।

*जो लागू नहीं है उसे हटा दें।



ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

प्रधान कार्यालय : हर्षा भवन, ई-ब्लॉक, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली – 110001
कॉरपोरेट कार्यालय : प्लॉट नं. 5, सेक्टर-32, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम-122001

व्यक्तिगत जानकारी, घोषणा एवं वचन

पासपोर्ट
साइज फोटो
यहां चिपकाएं

बैंक का नाम: ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

दिनांक को वांछित दस्तावेजों सहित उम्मीदवार द्वारा की गई घोषणा एवं प्रतिज्ञा

I	उम्मीदवार का व्यक्तिगत विवरण	
क	पूर्ण नाम (स्पष्ट अक्षरों में) पिता का नाम (पूर्ण रूप में)	
ख	जन्मतिथि	
ग	शैक्षणिक योग्यता (शैक्षिक/अकादमिक) (कृपया दी गई जानकारी के संबंध में प्रमाणपत्रों की स्वयं अनुप्रमाणित प्रति संलग्न करें) (शैक्षिक/व्यावसायिक) (कृपया दी गई जानकारी के संबंध में प्रमाणपत्रों की स्वयं अनुप्रमाणित प्रति संलग्न करें)	
घ	प्रासंगिक पृष्ठभूमि और अनुभव (जैसा कि बैंकिंग कंपनी अधिनियम, 1980 (उपक्रम का अधिग्रहण एवं अंतरण) की धारा 9(3ए) के तहत आवश्यक है (कृपया बैंक के निदेशक से संबंधित अपने अनुभव स्पष्ट करें)	
ङ	स्थायी पता	
च	वर्तमान पता	
छ	ई-मेल पता टेलीफोन नंबर (लैंडलाइन) टेलीफोन नंबर (मोबाइल)	
ज	आयकर अधिनियम के तहत स्थायी खाता संख्या (कृपया प्रति संलग्न करें) आयकर सर्किल/डिवीजन का नाम और पता जहां व्यक्तिगत कर रिटर्न दाखिल किया जा रहा है	
झ	प्रासंगिक ज्ञान और अनुभव (बैंकिंग कंपनी अधिनियम, 1980 (उपक्रम का अधिग्रहण एवं अंतरण) की धारा 9 (3-ए) को देखें)	
ञ	बैंक के निदेशक से संबंधित कोई अन्य सूचना	
II	उम्मीदवार के प्रासंगिक रिश्ते	
क	रिश्तेदारों की सूची यदि कोई है जो बैंक के साथ जुड़े हुए हैं (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (77) देखें जो कंपनी नियम, 2014 (परिभाषा विवरण का विशेष ब्यौरा) के नियम 4 के साथ पठित [कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 6 और अनुच्छेद-1ए]	
ख	संस्थाओं की सूची, यदि कोई है, जिनमें उनका हित माना जाए (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (49) और धारा 184 देखें) [कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 299 (3) (ए) और धारा 300]	
ग	उन संस्थाओं की सूची जिसमें बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5(एन.ई.) के अंतर्गत, उनका वर्तमान में एवं प्रस्तावित हित का पद माना जाए	
घ	उस बैंक का नाम जिसमें वह बोर्ड का सदस्य है या रहा है (उस अवधि का विवरण दिया जाए जिसके दौरान वह बोर्ड में रहा था)	
ङ	वर्तमान में उसके द्वारा अथवा उपरोक्त II (बी) और (सी) में सूचीबद्ध संस्था द्वारा बैंक से ली जा रही निधि और गैर-निधि सुविधाएं, यदि कोई हो	
च	ऐसे मामले, यदि कोई हो, जहां उम्मीदवार अथवा उपरोक्त II (बी) और (सी) में सूचीबद्ध संस्थाएं, बैंक या किसी अन्य बैंक से प्राप्त क्रेडिट सुविधाओं के संबंध में वर्तमान में चूककर्ता है अथवा पूर्व में चूककर्ता रही हो	

III व्यावसायिक उपलब्धियों के रिकॉर्ड		
क	प्रासंगिक व्यावसायिक उपलब्धियां	
IV अभ्यर्थी के खिलाफ कार्यवाही, यदि कोई हो, तो		
क	यदि उम्मीदवार किसी पेशेवर संघ/संस्था का सदस्य है, तो अनुशासनात्मक कार्यवाई का विवरण, यदि कोई हो, लंबित है या शुरू किया गया है या उसके खिलाफ अतीत में उसे दोषी ठहराया गया है अथवा क्या उस पर कभी किसी पेशे/व्यवसाय में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाया गया है	
ख	आर्थिक कानूनों और विनियमों के उल्लंघन के लिए उम्मीदवार अथवा ऊपर II (बी) और (सी) में सूचीबद्ध किसी भी संस्था के खिलाफ अभियोग के विवरण, (यदि कोई हो) लंबित हो या प्रारंभ हो अथवा पूर्व में इसके कारण दोष सिद्ध हुआ हो	
ग	आपराधिक मुकदमा चलाने के विवरण, (यदि कोई हो) लंबित या प्रारंभ या अभ्यर्थी के खिलाफ दोष सिद्ध हुआ हो	
घ	क्या उम्मीदवार कंपनी के अधिनियम 2013 की धारा 164 के तहत उल्लिखित प्रकार से अयोग्य है [कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274]	
ङ	क्या उम्मीदवार या ऊपरलिखित II (बी) और (सी) की किसी भी संस्था के विरुद्ध सरकारी विभाग या एजेंसी की ओर से कोई भी जांच विचाराधीन है?	
च	क्या किसी भी समय उम्मीदवार कस्टम/एक्साइज/आय कर/विदेशी मुद्रा/अन्य राजस्व प्राधिकारियों द्वारा नियमों/विनियमों/विधायी आवश्यकताओं के उल्लंघन का दोषी पाया गया है, यदि ऐसा है तो विवरण दें।	
छ	क्या किसी भी समय उम्मीदवार को सेबी, आईआरडीए, डीसीए, आरबीआई, फेमा, एमसीए सिबिल आदि किसी नियामक द्वारा प्रतिकूल टिप्पणी दी गई है। (यद्यपि यह उम्मीदवार के लिए, कॉलम में उल्लिखित नियामक के उन आदेशों और निष्कर्षों के बारे में उल्लेख करना जरूरी नहीं होगा, जो बाद में निरस्त/निर्धारित किए गए हैं। तथापि उनका उल्लिखित होना जरूरी होगा जो किसी सीमा या न्यायालय की कमी आदि जैसे तकनीकी कारणों से निरस्त/निर्धारित किए गए हैं न कि, योग्यता के आधार पर। अगर नियामक के आदेश अस्थायी रूप से रूके हुए हैं और अपीलीय/अदालत की कार्यवाही लंबित है, तो इसका भी उल्लेख किया जाना चाहिए)।	
V	मद संख्या I से III के संदर्भ में कोई भी अन्य स्पष्टीकरण/सूचना तथा अन्य सूचना जो कि फिट एवं उपयुक्त का निर्णय करने के लिए उपयुक्त हो	
अनुलग्नक : नोट: जहां कहीं भी स्थान पर्याप्त नहीं है, कृपया जानकारी को कालानुक्रमिक क्रम में और उचित संदर्भ के साथ संलग्न करें। प्रत्येक पृष्ठ (अनुलग्नकों सहित) उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना आवश्यक है।		
नामांकन समिति की टिप्पणियां/अभ्युक्तियां :		
समिति सदस्य	समिति सदस्य	समिति अध्यक्ष
स्थान : दिनांक:		
घोषणा		
मैं पुत्र / पुत्री/पत्नी श्री पुष्टि करता/करती हूं कि उपर्युक्त/जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है। मैं वचन देता हूं कि मेरी नियुक्ति के पश्चात्, मेरे द्वारा ऊपर दी गई जानकारी के संबंध में यदि कोई घटना घटित होती है तो इसकी जानकारी मैं यथाशीघ्र बैंक को दूंगा/दूंगी। मैं बैंक के सभी निदेशकों द्वारा अनुबंध निष्पादित की जाने वाली प्रतिज्ञा अनुबंध को निष्पादित करने का भी वचन देता हूं।		
स्थान : दिनांक:		
उम्मीदवार के हस्ताक्षर		



ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

प्रधान कार्यालय : हर्षा भवन, ई-ब्लॉक, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली – 110001
कॉरपोरेट कार्यालय : प्लॉट नं. 5, सेक्टर-32, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम-122001

उपस्थिति पर्ची

(बैठक स्थल पर प्रवेश के समय प्रस्तुत की जानी है)

दिनांक: 19 सितंबर, 2017

समय: 10.00 बजे प्रातः

स्थान : नई दिल्ली

पंजीकृत फोलियो सं.		डीपी आईडी और ग्राहक आईडी	
(यदि शेयर अमूर्त नहीं हैं)		(यदि शेयर अमूर्त हैं)	
शेयरधारक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)			
शेयरों की संख्या			
उपस्थित शेयरधारक/प्रॉक्सी/अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			

मैं एतद् द्वारा दिनांक: 19 सितंबर, 2017 को, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन (एफआईईओ), निर्यात भवन, रॉव तुला राम मार्ग, (आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल के सामने), नई दिल्ली – 110057 में आयोजित बैंक की असाधारण आम बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज करता हूँ।

शेयरधारक/प्रॉक्सी/अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर



ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

प्रधान कार्यालय : हर्षा भवन, ई-ब्लॉक, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली – 110001
कॉरपोरेट कार्यालय : प्लॉट नं. 5, सेक्टर-32, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम-122001

प्रवेश पास

(बैठक के दौरान अपने पास रखें)

दिनांक: 19 सितंबर, 2017

समय: 10.00 बजे प्रातः

स्थान : नई दिल्ली

पंजीकृत फोलियो सं.		डीपी आईडी और ग्राहक आईडी	
(यदि शेयर अमूर्त नहीं हैं)		(यदि शेयर अमूर्त हैं)	
शेयरधारक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)			
शेयरों की संख्या			
उपस्थित शेयरधारक/प्रॉक्सी/अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			

शेयरधारकों/प्रॉक्सी धारकों/अधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे बैठक स्थल पर प्रवेश के लिए प्रवेश पत्र के साथ-साथ बैंक में पंजीकृत उनके नमूना हस्ताक्षर के अनुसार उपरोक्त उपस्थिति स्लिप प्रस्तुत करें। यद्यपि प्रवेश, सत्यापन/जांच के अधीन होगा, जैसा भी आवश्यक समझा जाएगा। किसी भी परिस्थिति में, कोई डुप्लीकेट उपस्थिति पर्ची-सह-एंट्री-पास-सह-मतपत्र-पास मीटिंग हॉल के प्रवेश द्वार पर जारी नहीं किया जाएगा।



ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

प्रधान कार्यालय : हर्षा भवन, ई-ब्लॉक, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली – 110001
कॉरपोरेट कार्यालय : प्लॉट नं. 5, सेक्टर-32, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम-122001

(मतपत्र जारी करने के लिए मतदान काउंटर पर जमा करें)

पंजीकृत फोलियो सं.		डीपी आईडी और ग्राहक आईडी	
(यदि शेयर अमूर्त नहीं हैं)		(यदि शेयर अमूर्त हैं)	
शेयरधारक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)			
शेयरों की संख्या			
उपस्थित शेयरधारक/प्रॉक्सी/अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			



ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

प्रधान कार्यालय : हर्षा भवन, ई-ब्लॉक, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली – 110001
कॉरपोरेट कार्यालय : प्लॉट नं. 5, सेक्टर-32, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम-122001

प्रॉक्सी फॉर्म 'बी'

(शेयरधारक द्वारा भरा और हस्ताक्षर किया जाए)

पंजीकृत फोलियो सं.		डीपी आईडी	
(यदि शेयर अमूर्त नहीं हैं)		ग्राहक आईडी	
		(यदि शेयर अमूर्त हैं)	

मैं/हम निवासी जिला राज्य ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स का शेयरधारक होने के नाते, एतद् द्वारा श्री/श्रीमती निवासी जिला राज्य को, अथवा उनकी अनुपस्थिति में, श्री/श्रीमती निवासी राज्य को, दिनांक: मंगलवार, 19 सितंबर, 2017 को फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन (एफआईईओ), निर्यात भवन, राव तुला राम मार्ग (आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल के सामने), नई दिल्ली –110057 में आयोजित होने वाली, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक में अथवा ऐसी स्थगित बैठक में, मेरी/हमारी ओर से प्रॉक्सी मतदान करने के लिए अधिकृत करते हैं।

दिनांक: 2017 हस्ताक्षरित

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर प्रथम धारक / एकमात्र धारक के हस्ताक्षर

नाम:

पता:

रसीदी टिकट
चिपकाएं

प्रॉक्सी फॉर्म पर हस्ताक्षर प्रस्तुत करने संबंधी अनुदेश

1.	प्रॉक्सी लिखत वैध होने के लिए यह जरूरी है कि,
क	व्यक्तिगत शेयरधारक के मामले में, यह उसके द्वारा या लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो।
ख	संयुक्त धारकों के मामले में, सदस्य रजिस्टर में प्रथम नामित शेयरधारक द्वारा या लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो।
ग	किसी कॉरपोरेट निकाय के मामले में, सामान्य मोहर, यदि कोई है, के साथ उसके अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया जाए या अन्यथा लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो तथा फॉर्म बी में विधिवत् रूप से मुहर लगी हो।
2.	प्रॉक्सी की कोई लिखत, जिसमें शेयरधारक ने किसी भी कारण से हस्ताक्षर नहीं किया है और कोई टिप्पणी की है तो यह तभी वैध होगी जब यह किसी न्यायाधीश, दंडाधिकारी (मजिस्ट्रेट) अथवा उप निबंधक बीमा अथवा अन्य किसी सरकारी राजपत्रित अधिकारी अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित हो।
3.	प्रॉक्सी के साथ
क	मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार (यदि कोई है) जिसके तहत यह हस्ताक्षरित किया गया अथवा
ख	नोटरी पब्लिक या किसी दंडाधिकारी (मजिस्ट्रेट) द्वारा प्रमाणित उस मुख्तारनामे या प्राधिकार की प्रति असाधारण सामान्य बैठक प्रारंभ होने की तारीख से चार दिन से पहले अर्थात् गुरुवार, 14 सितंबर, 2017 को कार्यालय समय की समाप्ति अर्थात् सायं 5:00 बजे तक या उसके पूर्व बैंक के प्रधान कार्यालय, अथवा कॉरपोरेट कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए।
4.	कोई भी प्रॉक्सी लिखत तब तक वैध नहीं होगी जब तक कि वह फॉर्म 'बी' में हो और उस पर विधिवत् मुहर न लगी हो।
5.	बैंक में जमा की गई प्रॉक्सी लिखत अप्रतिहस्तांतरणीय एवं अंतिम होगी।
6.	यदि प्रॉक्सी लिखत वैकल्पिक रूप में दो प्राप्तिकर्ताओं के पक्ष में मंजूर की गई तो एक से अधिक फॉर्म निष्पादित नहीं किया जाएगा।
7.	शेयरधारक, जिसने प्रॉक्सी लिखत निष्पादित की है, वह उस वार्षिक सामान्य बैठक में व्यक्तिगत रूप से मतदान करने हेतु अधिकृत नहीं होगा, जिस बैठक से ऐसे लिखत संबंधित है।
8.	ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के किसी कर्मचारी अथवा अधिकारी को विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।
9.	प्रॉक्सी फॉर्म में किसी भी प्रकार के संशोधन को विधिवत् रूप से प्रमाणित किया जाए।



ORIENTAL BANK OF COMMERCE

Head Office: Harsha Bhawan, E-Block, Connaught Place, New Delhi – 110001

Corporate Office: Plot No.5, Sector-32, Institutional Area, Gurugram – 122001

CONTENTS

1	Notice and Notes	26
2	Explanatory Statement	29
3	Legal Provisions	30
4	Election of Directors – Extracts of Relevant Acts, Scheme and Regulations, Etc.	34
5	Nomination Form	42
6	Declaration	43
7	Personal Information, Declaration and Undertaking	45
8	Attendance Slip cum Entry Pass cum Ballot Paper Pass	47
9	Proxy Form	48

Important Calendar of Events:

Specified Date / Cut-off date for the purpose of determining the shareholders entitled to participate in the Election	Friday, 25 th August 2017
Last date for submission of Nomination Forms and 'Personal Information, Declaration and Undertaking'	05.00 p.m. of Monday, 04 th September 2017
Scrutiny of Nominations	Tuesday, 05 th September 2017
Last date & time for receipt of Proxy Forms	05.00 p.m. of Thursday, 14 th September 2017
Remote E-voting Period	16 th September 2017 (09.00 a.m.) to 18 th September 2017 (05.00 p.m.)
Date and time of Extraordinary General Meeting	Tuesday, 19 th September 2017 at 10.00 a.m.



ORIENTAL BANK OF COMMERCE

Head Office: Harsha Bhawan, E-Block, Connaught Place, New Delhi – 110001

Corporate Office: Plot No.5, Sector-32, Institutional Area, Gurugram – 122001

NOTICE

NOTICE is hereby given pursuant to Regulation 57 of Oriental Bank of Commerce (Shares and Meetings) Regulations 1998 that an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Oriental Bank of Commerce will be held on Tuesday, the 19th September 2017 at 10.00 a.m. at Federation of Indian Export Organisations (FIEO), Niryat Bhawan, Rao Tula Ram Marg, (Opposite Army Hospital Research & Referral), New Delhi - 110057 to transact the following business:

Item No. 1

To elect three Directors from amongst the shareholders of the Bank (other than the Central Government) in terms of Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (hereinafter referred to as the "Act") read with the Banking Regulation Act, 1949 and Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 (hereinafter referred to as the "Scheme") and Oriental Bank of Commerce (Shares & Meetings) Regulations, 1998 (hereinafter referred to as the "Regulations") made pursuant to Section 19 of the Act, RBI Notification Nos. DBOD. No. BC. No. 46/29.39.001/2007-08 and 47/29.39.001/2007-08 both dated 1st November, 2007 read with No. DBOD.BC. No. 95/29.39.001/2010-11 dated 23rd May, 2011 and No. DBR.Appt. BC.No.39/29.39.001/2016-17 dated 24th November 2016 (hereinafter referred to as "RBI Notification") and Govt. of India Guidelines, as amended, by passing the following resolution:-

"RESOLVED THAT three Directors elected from amongst shareholders other than the Central Government pursuant to Section 9(3)(i) of the Act read with Scheme, Regulations made thereunder, RBI Notification and GOI Guidelines be and are hereby appointed as the Directors of the Bank to assume office from September 30, 2017 and hold office until the completion of a period of three years from the date of such assumption".

By Order of the Board of Directors

Place : Gurugram
Date : 11th August, 2017

Mukesh Kumar Jain
Managing Director & CEO

NOTES

EXPLANATORY STATEMENT

The Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto.

APPOINTMENT OF PROXY

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF AND SUCH PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK. No instrument of Proxy shall be valid unless it is in Form "B" as annexed to the Notice. The proxy form addressed to General Manager (MBD), in order to be effective must be received at the Bank's Head Office situated at Harsha Bhawan, E Block, Connaught Place, New Delhi -110001 or Corporate Office of the Bank situated at Plot No.5, Sector 32, Institutional Area, Gurugram -122001 on or before 5.00 p.m. (closing hours of the Bank) of Thursday, the 14th September, 2017. The proxy so appointed shall not have any right to speak at the Meeting.

No person shall be appointed as a proxy who is an officer or an employee of Oriental Bank of Commerce.

APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the Extraordinary General Meeting as a duly authorized representative of any company/body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at Head Office or Corporate Office of the Bank (as given above) before the closing hours of the Bank i.e. 5.00 p.m. of Thursday, the 14th September, 2017.

No person shall be appointed as an authorized representative who is an officer or an employee of Oriental Bank of Commerce.

ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS-CUM - BALLOT PAPER PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-Cum-Entry Pass-cum-Ballot Paper Pass is annexed to this Notice. Shareholders / Proxy holders / Authorized Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy / Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance-Slip-Cum-Entry-Pass as "Proxy" or "Authorized Representative" as the case may be. Such Entry Passes shall be surrendered to obtain Ballot Paper at the time of voting at the Meeting.

TRANSFERS

Share certificates along with transfer deeds should be forwarded to the Share Transfer Agent at the address given below for the transfer of shares of the Bank.

CHANGE OF ADDRESS/EMAIL IDs

Shareholders holding shares in physical form are requested to update their email ids, address particulars with the Bank's Registrar and Share Transfer Agent at the following address:-

M/s. Link Intime India Private Limited,
44 Community Centre, 2nd Floor,
Naraina Industrial Area, Phase I,
Near PVR, Naraina, New Delhi – 110028
Email Id: delhi@linkintime.co.in
Ph.: 011-41410592/93/94

Shareholders who are holding shares in electronic form, are requested to inform their respective Depository Participant about their latest change of address/email ids.

SPECIFIED DATE / CUT-OFF DATE FOR THE PURPOSE OF ASCERTAINMENT OF SHAREHOLDERS ENTITLED TO PARTICIPATE IN THE ELECTION

Those shareholders whose names appear on the Register of Shareholders/ Beneficial Owners as furnished by NSDL/ CDSL as at the close of business hours i.e. Friday, 25th August, 2017 (hereinafter referred to as the "Specified Date/Cut-Off Date") shall be entitled to participate in the election i.e. nominate, contest and vote in the election of three directors from amongst Shareholders other than Central Government as mentioned in item no.1 of the Notice.

VOTING RIGHTS

In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Act, no shareholder of the Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of **ten percent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank**.

As per Regulation 10 of the Regulations, if any share stands in the name of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the meeting and is only eligible to nominate, contest and vote in the meeting.

Voting through Electronic Means

- I. In compliance with provisions of Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended, the Bank is pleased to provide its members, facility to exercise their right to vote on resolution proposed to be considered at the Extraordinary General Meeting (EGM) by electronic means and the business may be transacted through e-Voting Services. The facility of casting the votes by the members using an electronic voting system from a place other than venue of the EGM ("remote e-voting") will be provided by National Securities Depository Limited (NSDL).
- II. The facility for voting through ballot paper shall be made available at the EGM and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting through ballot paper.
- III. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the EGM may also attend the EGM but shall not be entitled to cast their vote again.
- IV. The remote e-voting period commences on 16th September, 2017 (9:00 a.m.) and ends on 18th September, 2017 (5:00 p.m.). During this period members of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date / specified date of 25th August 2017, may cast their vote by remote

e-voting. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the member casts the vote on the election, the member shall not be allowed to change it subsequently.

V. The process and manner for remote e-voting are as under:

A) In case a Member receives an email from NSDL [for members whose email IDs are registered with the Bank /Depository Participants(s)]:

- i) Open email and open PDF file viz; "remote e-voting.pdf" with your Client ID or Folio No. as password. The said PDF file contains your user ID and password/PIN for remote e-voting. Please note that the password is an initial password. If you are already registered with NSDL for e-Voting then you can use your existing user ID and password.
- ii) Launch internet browser by typing the following URL <https://www.evoting.nsdl.com>
- iii) Click on Shareholder - Login
- iv) Put user ID and password as initial password/PIN noted in step (i) above. Click Login.
- v) Password change menu appears. Change the password/PIN with new password of your choice with minimum 8 digits/characters or combination thereof. Note new password. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- vi) Home page of remote e-voting opens. Click on remote e-voting: Active Voting Cycles.
- vii) Select "EVEN" of Oriental Bank of Commerce".
- viii) Now you are ready for remote e-voting as Cast Vote page opens.
- ix) Cast your vote by selecting the candidates of your choice and click on "Submit" and also "Confirm" when prompted. You cannot select more than three candidates.
- x) Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.
- xi) Once you have voted on the election, you will not be allowed to modify your vote. A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the EGM through ballot paper.
- xii) Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to simultaneously send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory (ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail to scrutinizer@snaco.net with a copy marked to evoting@nsdl.co.in

B) In case a Member receives physical copy of the Notice of EGM [for members whose email IDs are not registered with the Bank/Depository Participants(s) or requesting physical copy] :

- i) Initial password is provided on the Separate Sheet annexed to the Notice of EGM:

EVEN (Remote e-voting Event Number)	USER ID	PASSWORD/PIN
--	----------------	---------------------

- ii) Please follow all steps from Sl. No. (ii) to Sl. No. (xii) above, to cast vote.

VI. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and remote e-voting user manual for Members available at the 'Downloads section' of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990.

VII. If you are already registered with NSDL for remote e-voting then you can use your existing user ID and password/PIN for casting your vote.

Note: Shareholders who forgot the User Details/Password can use "Forgot User Details/Password?" or "Physical User Reset Password?" option available on www.evoting.nsdl.com. In case Shareholders are holding shares in demat mode, USER-ID is the combination of (DP ID+Client ID). In case Shareholders are holding shares in physical mode, USER-ID is the combination of (Even No + Folio No).

VIII. You can also update your mobile number and e-mail id in the user profile details of the folio which may be used for sending future communication(s).

- IX. The voting rights of members shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Bank subject to the condition that no shareholder of the Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of **ten percent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank** as on the cut-off date/specified date of 25th August 2017.
- X. The Bank would be separately dispatching Notice of EGM along with Login Id and Password to any person, who acquires shares of the Bank and become member of the Bank after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e. 25 August, 2017
However, if you are already registered with NSDL for remote e-voting then you can use your existing user ID and password for casting your vote. If you forgot your password, you can reset your password by using “Forgot User Details/Password” or “Physical user Reset Password” option available on www.evoting.nsdl.com or contact NSDL at the following toll free no.: 1800-222-990.
- XI. A member may participate in the EGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the EGM. A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the EGM through ballot paper.
- XII. M/s S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & CO., Company Secretaries have been appointed as the Scrutinizer for providing facility to the members of the Bank to scrutinize the voting and remote e-voting process in a fair and transparent manner.
- XIII. The Results declared along with the report of the Scrutinizer shall be placed on the website of the Bank www.obcindia.co.in and on the website of NSDL immediately after the declaration of result by the Chairman or a person authorized by him in writing. The results shall also be immediately forwarded to the National Stock Exchange of India Ltd. (NSE) and the Bombay Stock Exchange Ltd. (BSE).

Poll Process on 19th September 2017

The voting on Election of Directors shall be done by voting at the meeting. Ballot Papers shall be issued at the Counters set up for this purpose to the shareholders/ Proxy holders/ authorized representatives on surrender of Ballot Paper pass issued at the time of registration.

Voting will commence immediately after an announcement in this regard is made by the Chairman of the Meeting and continue upto 12.00 noon.

Shareholders may exercise their voting right by affixing a rubber stamp (X) against the name of the candidate of their choice in the Ballot Paper and deposit them in the Ballot Box(es).

The entire process of Poll and Election would be conducted by the Returning Officer appointed by the Bank, an Independent Consultant (Scrutinizer) appointed for the said purpose by the Bank and would be overseen by the Central Government Nominee who will act as an Observer and second scrutinizer.

EXPLANATORY STATEMENT

Item No. 1

Presently, Shareholders other than Government of India hold 41.62% of the share capital of the Bank. As per Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, Oriental Bank of Commerce is entitled to have a maximum of three shareholder Directors on the Board of the Bank. At the Extraordinary General Meeting of the Bank held on 16th September 2014, three Directors viz. Shri Desh Deepak Khetrapal, Shri Ashok Kumar Sharma and Shri Dinesh Kumar Agrawal were elected from amongst the shareholders other than Central Government and their term comes to an end on 29th September, 2017.

In view of filling up the vacancies that will arise on 30th September 2017, your Bank proposes to conduct Election of Shareholder Directors at an Extraordinary General Meeting convened on 19th September 2017.

The shareholders (other than the Central Government) are therefore entitled to send their nominations as per the procedure detailed in various and relevant Act / Scheme/Regulations/ Notification/Guidelines, the relevant extracts / portions of which are reproduced hereunder.

Three directors will be elected either after the scrutiny of the nominations and determination of their Fit & Proper status by the Nomination Committee of the Board (in case there are upto three valid candidates) or subsequent election at the Extraordinary General Meeting (in case there are more than three valid candidates). After such election, Directors will assume office from **30th September, 2017** and will hold office for a period of three years from the date of assumption of office.

LEGAL PROVISIONS

Act/Scheme/Regulations/Notifications	Provisions	Short Particulars
The Banking Regulation Act, 1949	Section 5 (n-e) Section 16 (1) Section 20	- Substantial Interest - Prohibition of Common Directors - Restrictions for granting loan or advance to or on behalf of any of its directors
The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980	Section 3 (2E) Section 9(3)(i) Section 9(3A) (A) to (C) Section 9(3AA) Section 9(3AB) Section 9(3B) Section 13(2)	- Restriction on voting rights - No. of directors to be elected by the shareholders - Special knowledge in certain fields - No person shall be eligible to be elected as director unless he is a person having fit and proper status based upon track record, integrity and such other criteria as RBI may prescribe. - Right of RBI to remove a director so elected who does not fulfill the requirements of Section 9(3A) and 9(3AA) of the said Act. - Obligation as to fidelity and secrecy
The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980	Clause 9(4) Clause 10 Clause 11 Clause 11A Clause 11B Clause 12(8)	- Term of office of elected directors - Disqualifications being elected as a Director of the Bank - Vacation of office of Director - Removal from office of an elected Director - Filling of casual vacancy in the office of an elected Director - Disclosure of interest by directors in certain arrangements in which they are interested.
Oriental Bank of Commerce (Shares and Meetings) Regulations, 1998 (Amended upto 2008)	Regulation 10 Regulation 61 Regulation 63 Regulation 64 Regulation 65 Regulation 66 Regulation 67 Regulation 68 Regulation 69 Regulation 70	- Exercise of rights of joint holders - Voting at General Meetings - Directors to be elected at General Meetings - List of Shareholders - Nomination of candidates for election - Scrutiny of nominations - Election disputes - Determination of voting rights - Voting by duly authorized representative - Proxies
RBI Notification No. DBOD.No. BC. No. 46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 and No. DBOD. No. BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011 and No. DBR. Appt. BC. No. 39/29.39.001/ 2016-17 dated 24 th November 2016	Pursuant to Section 9(3AA) and Section 9(3AB) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980	Fit and Proper criteria for elected directors on the boards of Nationalized Banks
Govt. of India Notification No. F.No.16/83/2013-BO.I dated 3rd September 2013; Guidelines issued by Government of India for the appointment of Non Official Directors dated 25 th March, 2015 and subsequent amendments dated 08 th July 2016 and other extant and applicable laws/guidelines.		Guidelines for appointment of Part Time Non Official Directors in Public Sector Banks.
RBI Master Circular dated 1st July 2015 - Master Circular no. RBI/2015-16 /95 DBR.No.Dir.BC.10/13.03.00/2015-16		Granting loans and advances to relatives of Directors

For the convenience of the shareholders, the relevant extracts from the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, the Banking Regulation Act, the Scheme / Regulations as well as RBI Notifications No. DBOD.No. BC.No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 and DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011, Govt. of India Notification No. F.No.16/83/2013-BO.I dated 3rd September 2013; Guidelines issued by Government of India for the appointment of Non Official Directors dated 25th March, 2015 and subsequent amendments dated 08th July 2016 will be hosted on the Bank's website www.obcindia.co.in Such extracts will also be e-mailed to the intending candidates on receipt of a request addressed to the General Manager (MBD), Oriental Bank of Commerce at the Corporate Office at Plot No.5, Sector-32, Institutional Area, Gurugram on or before the last date fixed for submission of nomination forms viz. Monday, September 4th, 2017.

PARTICIPATION IN ELECTION

Such of those shareholders whose name appear on the Register of Members / Beneficial Owners as furnished by NSDL / CDSL as on the specified date/cut-off date i.e., on Friday, 25th August, 2017 shall be entitled to participate i.e. nominate, contest and vote in election of directors from amongst Shareholders other than the Central Government.

QUALIFICATIONS REQUIRED FOR BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK

- a) In terms of Section 9(3A) of the Act, a candidate, being a shareholder of the Bank and who desires to be elected as Director of the Bank under Section 9(3)(i) of the Act shall
 - A) have special knowledge or practical experience in respect of the one or more of the following matters namely:-
 - agriculture and rural economy
 - banking
 - co-operation
 - economics
 - finance
 - law
 - small scale industry
 - any other matter the special knowledge of and practical experience in which, would, in the opinion of the Reserve Bank of India be useful to the Bank (RBI vide its letter dated November 24, 2016 added the following matters viz. (i) Information Technology (ii) Payment & Settlement Systems (iii) Human Resources (iv) Risk Management and (v) Business Management, for persons who could be considered for appointment of director in the banks).
 - B) represents the interest of depositors; or
 - C) represents the interest of farmers, workers and artisans
- b) In terms of Section 9(3AA) of the Act, a candidate being a shareholder of the Bank and who desires to be a Director of the Bank should possess 'Fit and Proper' status.
- c) Further the elected Director should execute the deed of covenants and is required to furnish annual declarations as prescribed by the Reserve Bank of India in this regard.

DISQUALIFICATIONS FROM BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK

- A) In terms of Clause 10 of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, a person shall be disqualified for being appointed, as and for being a Director:
 - a) if he has at any time been adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or
 - b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
 - c) if he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude; or
 - d) if he holds any office of profit under any Nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of whole time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank and
- B) If he is not found to be 'fit and proper' person in terms of Notification of Reserve Bank of India-DBOD. No. BC. No. 46/29.39.001/2007-08 and DBOD. No. BC. No. 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 and No. DBOD. BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23rd May, 2011 read with No. DBR. Appt. BC. No. 39/29.39.001/2016-17 dated 24th November 2016 and Govt. of India Notification No. F.No.16/83/2013-BO.I dated 3rd September 2013 and Guidelines issued by Government of India for the appointment of Non Official Directors dated 25th March, 2015 and subsequent amendments dated 08th July 2016.

List of Shareholders

As provided in Regulation 64 of the Oriental Bank of Commerce (Shares and Meetings) Regulations, 1998 as amended, a copy of the List of Shareholders (in electronic form i.e., (C.D.) will be available from the General Manager (MBD) at Corporate Office of the Bank from Monday, the August 28, 2017 onwards for purchase by Shareholders on payment of ₹ 35000 (Rupees Thirty Five Thousand only) by Demand Draft in favor of Oriental Bank of Commerce payable at New Delhi. The candidates desirous of purchasing the said list shall have to give an undertaking that the list will be used in canvassing for the election and shall not be used for any other purpose whatsoever.

The Register of Shareholders will be open at the Corporate Office, Gurugram for inspection on all working days (other than Sundays and Bank Holidays) i.e, Monday to Saturday (other than 2nd and 4th Saturday) between 10.00 a.m. to 4.00 p.m.

If any shareholder requires a copy or computer print of select / part information of the same, it shall be supplied to him on prepayment at the rate of Rs. 5/- for every 1000 words or fractional part thereof required to be copied.

NOMINATION OF CANDIDATES FOR ELECTION

In terms of Regulation 65 of the Oriental Bank of Commerce (Shares & Meetings) Regulations, 1998 as amended, and in terms of Notifications of Reserve Bank of India DBOD No. BC. No. 46 & 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 read with No. DBOD. BC. No. 95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011 and GOI Guidelines and other applicable provisions of various Acts, nomination of a candidate for election as a Director shall be valid provided:

- He/she is a shareholder holding not less than 100 (One hundred) shares of the Bank as on Friday, 25th August, 2017 being the specified date/cut-off date of reckoning for participation in the election and continues to hold a minimum of 100 shares till the date of the meeting and thereafter till the end of his/her tenure, if he/she is elected.
- As on Monday, 4th September, 2017, being the last date for receipt of nomination, he / she is not disqualified to be Director under the Act / Scheme / Regulations / RBI Notifications/GOI Guidelines.
- The nomination is in writing signed by at least one hundred shareholders entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by shareholder who is a company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched to the Corporate Office of the Bank addressed to the General Manager (MBD) and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company.
- The nomination is accompanied or contains a declaration signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or any Nationalized Bank, that he / she accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he / she is not disqualified either under the Act or the Scheme or the Regulations from being a Director along with his / her personal details (bio data) duly signed and affirming that such details are true to the best of his / her knowledge and belief and also his / her undertaking to keep the Bank fully informed as soon as possible of such events which are relevant to the information, subsequent to the declaration.
- The nomination forms and declaration form are as prescribed by the Regulations and as per the proforma annexed (The proforma is also available on the Bank's website www.obcindia.co.in)
- He / She is not disqualified under the Banking Regulation Act, 1949 or the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 or the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 or the Oriental Bank of Commerce (Shares and Meetings) Regulations, 1998 and Reserve Bank of India Notifications - DBOD. No. BC. No. 46/29.39.001/2007-08 and DBOD. No. BC. No. 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 and No.DBOD. BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23rd May, 2011 read with No. DBR. Appt. BC. No. 39/29.39.001/2016-17 dated 24th November 2016 and Govt. of India Notification No. F.No.16/83/2013-BO.I dated 3rd September 2013 and Guidelines issued by Government of India for the appointment of Non Official Directors dated 25th March, 2015 and subsequent amendments dated 08th July 2016 and any amendments made thereafter.
- There are no calls in arrears in respect of the shares held by him.

SUBMISSION OF NOMINATION FORMS

Shareholders desirous of contesting the election of the Directors of the Bank from amongst the shareholders, other than the Central Government should submit:

- Duly filled in Declaration Form;

- Nominations from minimum of hundred shareholders entitled to participate in the election;
 - Personal Information, Declaration and Undertaking in the formats annexed to the Notice together with the related documents, testimonials, viz. self attested copies of Bio-data, Certificate of Educational Qualifications, Experience, etc., in a sealed envelope to the General Manager (MBD) Oriental Bank of Commerce, Corporate Office, Plot No. 5, Sector-32, Institutional Area, Gurugram on any working day not less than fourteen days before the date fixed for the Extraordinary General Meeting i.e., on or before 5.00 p.m., on Monday, 4th September 2017.
 - The said nomination forms and other documents should be complete in all respect failing which the nominations are liable to be rejected.

SCRUTINY OF NOMINATIONS AND ELECTION OF DIRECTORS

- i) Nominations shall be scrutinized by the Bank on Tuesday, 5th September, 2017 the first working day following the date fixed for the receipt of the nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reasons therefor.
- ii) Nominations shall also be subjected to scrutiny by the Nomination Committee of the Board in terms of the 'Fit and Proper' Guidelines issued by the Reserve Bank of India as well as the Guidelines for nomination of Non Official Directors on the boards of Public Sector Banks and Financial Institutions as issued by Ministry of Finance, Government of India.
- iii) The Bank may at the time of Scrutiny of Nominations or as advised by the Nomination Committee of the Board seek further information, documents from the Candidates in support of their candidature.
- iv) If there are only three valid nominations for the vacancies to be filled by the election, the candidates so nominated shall be deemed to be elected forthwith and their names and addresses shall be published as so elected. In such an event the Extraordinary General Meeting will not be conducted/held. The newly elected directors will assume office on 30th September, 2017.
- v) If there are more than **three** valid nominations, Election will be held and candidates polling the majority of the votes at the election will be deemed to have been elected and their names will be published in newspapers.

VOTING PROCESS

As already informed the Election of Shareholder Directors will be conducted by remote e-Voting and voting at the meeting as explained in Notes to Notice convening the meeting.

The entire process of Election would be conducted by the Returning Officer appointed by the Bank, an Independent Consultant appointed for the said purpose by the Bank and would be overseen by the Central Government Nominee who will act as an Observer and second scrutinizer.

WITHDRAWAL OF NOMINATIONS

If any candidate desires to withdraw his nomination, he would be entitled to do so by sending a letter or fax at any time prior to closing hours of the Bank i.e. 5.00 p.m., on Friday, 15th September 2017.

DISPUTES

If there is any dispute, the same will be settled as per Regulation 67 of the Oriental Bank of Commerce (Shares and Meetings) Regulations, 1998.

EXTRACTS

Extracts of the relevant portions of the applicable Act / Scheme / Regulations / Notification/Guidelines are annexed for the benefit of the shareholders.

INTEREST OF DIRECTORS

Directors of the Bank to the extent of their shareholding and such Directors who file their nominations may be deemed to be concerned or interested in the aforesaid item of business.

By Order of the Board of Directors

Place : Gurugram
Date : 11th August, 2017

Mukesh Kumar Jain
Managing Director & CEO

ELECTION OF DIRECTORS – EXTRACTS OF RELEVANT ACTS, SCHEME AND REGULATIONS, ETC.

In terms of Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, the Shareholder Directors shall have to be appointed to the extent of capital issued under clause (c) of sub-section (2B) of Section 3 of the Act.

The relevant Sections of the Banking Regulations Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 and the relevant regulations of Oriental Bank of Commerce (Shares & Meetings) Regulations, 1998 respectively in this regard, are reproduced below for the information of the shareholders.

❖ THE BANKING REGULATION ACT, 1949

Substantial Interest”,— Section 5 (ne)

- i) in relation to a company, means the holding of a beneficial interest by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together, in the shares thereof, the amount paid upon which exceeds five lakhs of rupees or ten percent of the paid-up capital of the company, whichever is less;
- ii) in relation to a firm, means the beneficial interest held therein by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together, which represents more than ten percent of the total capital subscribed by all the partners of the said firm;

Prohibition of Common Directors – Section 16(1)

No Banking Company incorporated in India shall have as a Director on its Board of Directors, any person who is a Director of any other Banking Company.

Restrictions on Loans and Advances – Section 20

- 1) Notwithstanding anything to the contrary contained in Section 77 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), no Banking Company shall –
 - a) grant any loans or advances on the security of its own shares, or
 - b) enter into any commitment for granting any loan or advance to or on behalf of –
 - (i) any of its Directors
 - (ii) any firm in which any of its Directors is interested as partner, manager, employee or guarantor, or
 - (iii) any company not being a subsidiary of the Banking Company or a Company registered under Section 25 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or a Government Company of which or the subsidiary or the holding company of which any of the Directors of the Banking Company is a Director, Managing Agent, Manager, Employee or guarantor or in which he holds substantial interest, or
 - (iv) any individual in respect of whom any of its Directors is a partner or guarantor.
- 2) Where any loan or advance granted by a Banking Company is such that a commitment for granting it could not have been made if Clause (b) of sub-section (1) had been in force on the date on which the loan or advance was made or is granted by a Banking Company after the commencement of Section 5 of the Banking Laws (Amendment) Act, 1968 (58 of 1968), but in pursuance of a commitment entered into before such commencement, steps shall be taken to recover the amounts due to the Banking Company on account of the loan or advance together with interest, if any, due thereon within the period stipulated at the time of the grant of loan or advance or where no such period has been stipulated, before the expiry of one year from the commencement of the said Section 5; Provided that the Reserve Bank may, in any case on application in writing made to it by the Banking Company in this behalf, extend the period for the recovery of the loan or advance until such date, not being a date beyond the period of three years from the commencement of the said Section 5 and subject to such terms and conditions, as the Reserve Bank may deem fit:

Provided further that this sub-section shall not apply if and when the Director concerned vacates the office of the Director of the Banking Company, whether by death, retirement, resignation or otherwise.
- 3) No loan or advance, referred to in sub-section (2), or any part thereof shall be remitted without the previous approval of the Reserve Bank, and any remission without such approval shall be void and of no effect.

- 4) Where any loan or advance referred to in sub-section (2), payable by any person, has not been repaid to the Banking Company within the period specified in that sub-section, then such period shall, if he is a Director of such Banking Company on the date of the expiry of the said period, be deemed to have vacated his office as such on the said date.

Explanation in this Section –

- (i) “Loan or advance” shall not include any transaction which the Reserve Bank of India may, having regard to the nature of the transaction, the period within which, and the manner and circumstances in which, any amount due on account of the transaction is likely to be realized, the interest of the depositors and other relevant considerations, specify by general or special order as not being a loan or advance for the purpose of this Section;
 - (ii) “Directors” includes a member of any Board or Committee in India constituted by a Banking Company for the purpose of managing, or for the purpose of advising it in regard to the management of, all or any of its affairs.
- 5) If any question arises whether any transaction is a loan or advance for the purpose of this Section, it shall be referred to the Reserve Bank, whose decision thereon shall be final.

❖ **THE BANKING COMPANIES (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) ACT, 1980**

Restrictions on voting rights

Section 3(2E): No shareholder of the Bank other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him in excess of ten percent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

Composition of the Board of Directors

Section 9(3)(i): Where the capital issued under clause (c) of sub-section (2B) of Section 3 is :-

- (i) not more than sixteen percent of the total paid up capital, one Director
- (ii) more than sixteen percent of the total paid up capital, but not more than thirty two percent of the total paid up capital, two Directors.
- (iii) more than thirty two percent of the total paid-up capital, three Directors to be elected by the shareholders other than the Central Government from amongst themselves.

Provided that on the assumption of charge after election of any such director under this clause, equal number of directors nominated under clause (h) shall retire in such manner as may be specified in the Scheme.

Provided further that in case the number of directors elected, on or before the commencement of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, in a corresponding new Bank exceed the number of directors specified in sub-clause (I) or sub-clause (II) or sub-clause (III), as the case may be, such excess number of directors elected before such commencement shall retire in such manner as may be specified in the Scheme and such directors shall not be entitled to claim any compensation for the premature retirement of their term of office.

Section 9(3A): The Directors to be elected under said clause (i) shall –

- A. have special knowledge or practical experience in respect of the one or more of the following matters, namely-
- (i) agriculture and rural economy
 - (ii) Banking
 - (iii) Co-operation
 - (iv) Economics
 - (v) Finance
 - (vi) Law
 - (vii) Small scale industry
 - (viii) Any other matter the special knowledge of, and practical experience in, which would, in the opinion of the Reserve Bank be useful to the Bank.

- B. represents the interests of depositors; or
- C. represent the interest of farmers, workers and artisans

Section 9(3AA): Without prejudice to the provision of sub-section 3(A) and notwithstanding anything to the contrary contained in the Act or in other law for the time being in force, no person shall be eligible to be elected as a Director under Clause (i) of Sub-Section (3) unless he is a person having 'fit and proper status' based upon the track record, integrity and such other criteria as Reserve Bank may notify from time to time in this regard.

Section 9(3AB): The Reserve Bank may also specify in the notification issued under sub-section 3(AA), the Authority to determine the 'Fit and Proper' status, the manner of such determination, the procedure to be followed for such determination and such other matters as may be considered necessary or incidental thereto.

Section 9(3B): Where the Reserve Bank is of the opinion that any Director of a corresponding new Bank elected under clause (i) of sub-section (3) does not fulfill the requirements of sub-section (3A) and (3AA), it may after giving to such Director and the Bank a reasonable opportunity of being heard, by order, remove such Director and on such removal, the Board of Directors shall co-opt any other person fulfilling the requirements of sub-section (3A) and (3AA) as a Director in place of the person so removed till a Director is duly elected by the shareholders of the Bank in the next Extraordinary General Meeting and the person so co-opted shall be deemed to have been duly elected by the shareholders of the Bank as a Director.

Obligation as to Fidelity and Secrecy:

Section 13(2): Every Director, member of a local Board or a Committee, or Auditor, Advisor, Officer or other employee of a Bank shall before entering upon his duties, make a declaration of fidelity and secrecy in the form set out in the Third Schedule.

❖ THE NATIONALISED BANKS (MANAGEMENT AND MISCELLANEOUS PROVISIONS) SCHEME, 1980

Term of office of elected Director

Clause 9 (4): An elected Director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election.

Provided no such Director shall hold office continuously for a period exceeding six years.

Disqualification of Directors

Clause 10: A person shall be disqualified for being appointed as and for being a Director:-

- a) if he has at any time been adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors or
- b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
- c) if he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude
- d) if he holds any office of profit under any Nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of a whole-time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from amongst the employees of the Bank.

Vacation of office of Directors

Clause 11:

1. If a Director becomes subject to any of disqualifications specified in clause 10 or is absent without leave of the Board for more than three consecutive meetings thereof, he shall be deemed to have vacated his office as such and thereupon his office shall become vacant.
2. The Chairman or a whole-time Director including the Managing Director or a Director referred to in clause (b) or clause (c) or clause (d) of sub section 3 of Section 9 of the Act may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and on such resignation being accepted by that Government shall be deemed to have vacated his office; and any other Director may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and such resignation shall take effect on the receipt of the communication of the resignation by the Central Government.
3. Without prejudice to the provisions of the foregoing sub-clauses, the office of a Director referred to in clause (e) or clause (f) of sub-section 3 of Section 9 of the Act shall become vacant as soon as the Director ceases to be a workman or an employee other than workman of the Nationalized Bank of which he is a Director.

4. Where any vacancy occurs in the office of a Director other than an elected Director, it shall be filled in accordance with sub-section (3) of Section 9 of the Act.

Removal from office of an elected Director

Clause 11A:

The shareholders, other than the Central Government, may, by a resolution passed by the majority of the votes of such shareholders holding in the aggregate not less than one half of the share capital held by all such shareholders, remove any Director elected under Clause (i) of the sub-section (3) of Section 9 and elect in his stead another person to fill the vacancy.

Filling of vacancy in the office of an elected Director

Clause 11B:

1. Where any vacancy occurs before the expiry of the term of office of an elected Director, the vacancy shall be filled in the election.
Provided that where the duration of vacancy is likely to be less than six months, the vacancy may be filled by the remaining Directors.
2. A person elected or co-opted, as the case may be, under sub clause (1) shall hold office for the unexpired portion of the term of his predecessor.

Disclosure of interest by Directors

Clause 12(8)

A Director who is directly or indirectly concerned or interested in any contract, loan, arrangement or proposal entered into or proposed to be entered into by or on behalf of the Nationalized Bank, shall, as soon as possible after the relevant circumstances have come to his knowledge, disclose the nature of his interest to the Board and shall not be present at the meeting of the Board when any such contract, loan, arrangement or proposal is discussed unless his presence is required by the other Directors for the purpose of eliciting information and no Director so required to be present shall vote on any such contract, loan, arrangement or proposal:

Provided that nothing contained in this sub-clause shall apply to such Director by reason only of his being:

1. a shareholder (other than a Director) holding not more than two percent of the paid up capital in any public Company as defined in the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or any corporation established by or under any law for the time being in force in India or any co-operative society, with which or to which the Nationalized Bank has entered into or made, or proposes to enter into or make, a contract, loan, arrangement or proposal; or
2. an officer or other employee of the Nationalized Bank, if he is a director referred to in clause (e) or clause (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act.

❖ ORIENTAL BANK OF COMMERCE (SHARES & MEETINGS) REGULATIONS, 1998

Exercise of rights of joint holders:

Regulation 10:

If any share stands in the names of two or more persons, the first named in the register shall as regards voting, receipt of dividends, service of notices and all or any other matters connected with Oriental Bank of Commerce except the transfer of shares be deemed to be the sole holder thereof.

Directors to be elected at general meeting

Regulation 63

- (i) A Director under clause (i) of sub-section 3 of Section 9 shall be elected by the shareholders on the register, other than the Central Government from amongst themselves in the general meeting of Oriental Bank of Commerce.
- (ii) Where an election of a Director is to be held at any general meeting, the notice thereof shall be included in the notice convening the meeting. Every such notice shall specify the number of Directors to be elected and the particulars of vacancies in respect of which the election is to be held.

List of shareholders

Regulation 64

- i) For the purpose of election of a Director under sub-regulation (i) of Regulation 63 of these Regulations, a list shall be prepared of shareholders on the register by whom the Director is to be elected.
- ii) The list shall contain the names of the shareholders, their registered addresses, the number and denoting numbers of shares held by them with the dates on which the shares were registered and the number of votes to which they will be entitled on the date fixed for the meeting at which the election will take place and copies of the list shall be available for purchase at least three weeks before the date fixed for the meeting at a price to be fixed by the Board or the Management Committee, on application at the Head Office.

Nomination of candidates for election:

Regulation 65:

- i) No nomination of a candidate for election as a Director shall be valid unless,
 - he is a shareholder holding not less than 100 (One hundred) shares in Oriental Bank of Commerce.
 - he is on the last date for receipt of nomination, not disqualified to be a Director under the Act or under the Scheme.
 - he has paid all calls in respect of the shares of the Bank held by him, whether alone or jointly with others, on or before the last date fixed for the payment of the call;
 - the nomination is in writing signed by at least one hundred shareholders entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by a shareholder who is a Company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched to the Head Office of Oriental Bank of Commerce Bank and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company;
 - the nomination accompanies or contains a declaration signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an Officer of the Reserve Bank of India or any Nationalized Bank, that he accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he is not disqualified either under the Act or the Scheme or these regulations from being a Director.
 - No nomination shall be valid unless it is received with all the connected documents complete in all respects and received, at the Head office of the Bank on a working day not less than fourteen days before the date fixed for the meeting.

Scrutiny of nominations:

Regulation 66:

- (i) Nominations shall be scrutinized on the first working day following the date fixed for receipt of nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reason thereof. If there is only one valid nomination for any particular vacancy to be filled by election, the candidate so nominated shall be deemed to be elected forthwith and his name and address shall be published as so elected. In such an event there shall not be any election at the meeting convened for the purpose and if the meeting had been called solely for the purpose of the aforesaid election it shall stand cancelled.
- (ii) In the event of an election being held, if valid nominations are more than the number of Directors to be elected, the candidate polling the majority of votes shall be deemed to have been elected.
- (iii) A Director elected to fill an existing vacancy shall be deemed to have assumed office from the date following that on which he is or is deemed to be elected.

Election disputes:

Regulation 67:

- (i) If any doubt or dispute shall arise as to the qualification or disqualification of a person deemed, or declared to be elected, or as to the validity of the election of a Director, any person interested, being a candidate or shareholder entitled to vote at such election, may, within seven days of the date of the declaration of the result

of such election, give intimation in writing thereof to the Chairman and Managing Director of Oriental Bank of Commerce and shall in the said intimation give full particulars of the grounds upon which he doubts or disputes the validity of the election.

- (ii) On receipt of an intimation under sub-regulation (i), the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director of the Bank shall forthwith refer such doubt or dispute for the decision of a committee consisting of the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director and any two of the Directors nominated under clauses (b) and (c) of sub-section (3) of Section 9 of the Act.
- (iii) The committee referred to in sub-regulation (ii) shall make such enquiry as it deems necessary and if it finds that the election was a valid election, it shall confirm the declared results of the election, or if it finds that the election was not a valid election, it shall, within thirty days of the commencement of the enquiry, make such order and give such directions including the holding of fresh election as shall in the circumstances appear just to the committee.
- (iv) An order and direction of such committee in pursuance of this regulation shall be conclusive.

Voting Rights of Shareholders:

Determination of voting rights:

Regulation 68:

- (i) Subject to the provisions contained in Section 3 (2E) of the Act, each shareholder who has been registered as a shareholder on the date of the closure of the register prior to the date of a general meeting shall, at such meeting, have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.
- (ii) Subject to the provisions contained in Section 3 (2E) of the Act, every shareholder entitled to vote as aforesaid who, not being a Company, is present in person or by proxy or who being a Company is present by a duly authorized representative, or by proxy shall have one vote on a show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him as stated hereinabove in sub-regulation (i)
Explanation – for this chapter, “Company” means any body corporate.
- (iii) Shareholders of the Bank entitled to attend and vote at a general meeting shall be entitled to appoint another person (whether a shareholder or not) as his proxy to attend and vote instead of himself; but a proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting.

Voting by duly authorized representative:

Regulation 69:

- (i) A shareholder, being the Central Government or a Company, may by a resolution, as the case may be, authorize any of its officials or any other person to act as its representative at any general meeting of the shareholders and the person so authorized (referred to as a “duly authorized representative” in these regulations) shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the Central Government or the Company which he represents, as if he were an individual shareholder of the Bank. The authorization so given may be in favour of two persons in the alternative and in such a case any one of such persons may act as a duly authorized representative of the Central Government/ Company.
- (ii) No person shall attend or vote at any meeting of the shareholders of the Bank as the duly authorized representative of the Company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Bank not less than four days before the date fixed for the meeting.

❖ RBI'S FIT AND PROPER CRITERIA GUIDELINES

Reserve Bank of India (RBI), in exercise of powers conferred on it under sub-sections (3AA) and (3AB) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970/1980 has issued notification DBOD BC No.46 & 47/29.39.001/2007-08 dated November 01,2007 laying down specific “Fit and Proper” Criteria to be fulfilled by the persons being elected as directors on the Board of the Banks under the provisions of Section 9 (3)(i) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970/1980.

SALIENT FEATURES OF THE GUIDELINES

The Authority, Manner/ Procedure and Criteria for deciding the “Fit and Proper “status etc., are as under:

a) Authority:

All the nationalized banks are required to constitute a “nomination committee” consisting of a minimum of three directors (all independent/non-executive directors) from amongst the Board of Directors. The Board of Directors should also nominate one among them as Chairman of the nomination committee. The quorum required is three, including the Chairman. In case of absence of any member already nominated, the board of directors may nominate any other independent director in his place for the ensuing meeting. At the time of constituting the nomination committee the board can decide on its tenure.

b) Manner and procedure:

The nomination committee should undertake a process of due diligence to determine the ‘fit and proper’ status of existing elected directors/the person to be elected as a director under Sec 9 (3)(i) of the Act *ibid*. For this purpose, the banks should obtain necessary information and declaration, in the format enclosed (Annexure-1), from the existing elected directors/persons, who file their nominations for election. The nomination committee should meet before the last date of acceptance of nominations in case of candidate to be elected and decide whether or not the person’s candidature should be accepted based on the criteria mentioned below. The committee’s discussions should be properly recorded as formal minutes of the meeting and the voting if done should also be noted in case of both existing and proposed Directors. Based on the information provided in the signed declaration, Nomination Committee should decide on the acceptance or otherwise of the candidate and may make references, where considered necessary to the appropriate authority/persons, to ensure their compliance with the requirements indicated.

c) Criteria

The nomination committee should determine the ‘fit and proper’ status of the existing elected directors/ proposed candidates based on the broad criteria as mentioned hereunder:

- i) Educational qualification
- ii) Experience and field of expertise
- iii) Track record and integrity

(The above list is only illustrative and not exhaustive)

The Nomination Committee should see whether the non-adherence to any of the above criteria would hamper the existing elected director/proposed candidate from discharging the duties as a director on the Board of the Bank. Further, the candidate coming to the adverse notice of any authority/regulatory agency or insolvency or default of any loan from any bank or financial institution would make the candidate unfit and improper to be a director on the Board of a Bank.

d) Other matters

It is desirable that it is ensured in the public interest, that the elected directors execute the deed of covenants (as recommended by the Dr. Ganguly Group vide RBI circular DBOD. No. BC. 116/08.139.001/2001-02 dated 20th June 2002 and also every year as on 31st March.

It is also mandatory that all the elected directors must furnish a simple declaration every year as on 31st March that the information already provided by them has not undergone any change and where there is any change, requisite details are furnished by the directors forthwith. If there are any significant changes, the nomination committee should undertake the due diligence exercise afresh and examine the ‘fit and proper’ status of the director.

❖ **GUIDELINES FOR SELECTION OF PART-TIME NON-OFFICIAL DIRECTOR**

The following criteria may be adopted for nomination of part-time non-official directors (NOD) on the boards of public sector banks/financial institutions etc.

GENERAL

- Nominations will be made keeping in view the provisions of the relevant Acts/Rules.
- The suitability of nominees may be assessed in terms of formal qualification and expertise, track record, integrity etc. For assessing integrity and suitability, information on criminal records, financial position, civil actions undertaken to pursue personal debts, refusal of admission to or expulsion from professional bodies, sanctions applied by regulators and similar bodies and previous questionable business practices etc. will be relied upon.

EXPERIENCE

- Persons of eminence with special academic training or practical experience in the fields of agriculture, rural economy, banking cooperation, economics, business management, human resources, finance, corporate law, Risk Management, Industry and IT will ordinarily be considered. 20 years of industry experience at a senior position, established expertise in respective areas (successfully led a reputed organization, brought turn around in a falling organization) would be preferred.
- Retired senior Government officials with total experience of 20 years and minimum 10 years of experience at Joint secretary and above level. Retired CMDs/EDs of Public Sector Banks after one year of retirement. The ex-CMDs/EDs will not be considered for appointment as NoD on the Board of the PSB from which they have retired. Serving CMDs/EDs of a PSB will not be considered for appointment as NoD on the Board of any other PSB.
- Academicians Directors of premier Management / Banking Institutes and Professors having more than 20 years experience.
- Chartered Accountants with 20 years experience (excluding audit experience) would also be preferred.
- However, the experience criteria may be relaxed with the approval of the Finance Minister in exceptional cases based on merits of the case.
- As far as possible representation may also be given to women and the persons belonging to SC / ST / OBC community.

EDUCATION

- The candidate should at least be a graduate in any stream preferably with specialization in Business Management, Risk Management, Finance, Human Resources and IT.

AGE

- The age of the Director should not be more than 67 years.

WORK EXPERIENCE

- Professional/academicians should ordinarily have 20 years of work experience in their particular field.

TENURE

- An NoD would not be considered for nomination as a Director on the Board of a Bank / FI / RBI / Insurance Company if such Director has already been a NoD / Shareholder Director on the board of any other Bank / FI / RBI / Insurance company for six years, whether continuously or intermittently.

DISQUALIFICATION

- A director already on a Bank / FI / RBI / Insurance Company, under any category, may not be considered for nomination as NOD on any other Bank/FI/RBI/Insurance Company.
- Persons connected with hire purchase, financing, investment, leasing and other para-banking activities, MPs, MLAs, MLCs and Stock Brokers will not be appointed as non-official directors on the boards of Banks / FIs / RBI / Insurance Companies. Investors in a hire purchase, financing investment, leasing and other para-banking activities would not be disqualified for appointment as NOD, if they are not having any managerial control in such companies.
- No person may be re-nominated as a NOD on the Board of a Bank/FI/RBI/Insurance Company on which he / she has served as Director in the past under any category for terms or six years whichever is longer.

PROFESSIONAL RESTRICTION

- The issue of professional restriction vis-à-vis office of profit in any Public Sector Bank under clause 10(d) of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous) Provisions Scheme, 1970 may be separately examined.
- If a Chartered Accountant firm is currently engaged in any Public Sector Bank as a Statutory Central Auditor, no partner of the same Chartered Accountant firm shall be eligible for appointment as a Non-official director in any Nationalized Bank/PSB. If a Chartered Accountant firm is currently engaged in Nationalized Bank as a Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor, no partner of the same Chartered Accountant firm shall be eligible for appointment as a Non-official director in the same Bank.



ORIENTAL BANK OF COMMERCE

Head Office: Harsha Bhawan, E-Block, Connaught Place, New Delhi – 110001

Corporate Office: Plot No.5, Sector-32, Institutional Area, Gurugram – 122001

NOMINATION FORM

To

**The Managing Director & CEO,
Oriental Bank of Commerce
Corporate Office, Gurugram**

Dear Sir,

ELECTION OF DIRECTORS

With reference to your Notice dated **11.08.2017**, I, ... a shareholder of Oriental Bank of Commerce holding equity shares of ₹ 10/- each (fully paid-up) as on Friday, August 25, 2017 i.e., the Specified date/cut-off date for participating in the Election, do hereby nominate Shri / Smt. son/daughter/ wife of residing at for being elected as a Director of Oriental Bank of Commerce representing the shareholders of the Bank as provided in Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Bank to be held on September 19, 2017

Name	
Signature	
No. of shares	
Regd. Folio No. (if not dematerialized)	
DP ID No. & Client ID No. (If dematerialized)	
Place	
Date	

Notes:

- 1) In case nomination is made by a body corporate, the Nomination Form should be accompanied by a certified true copy of the resolution passed by the Board of Directors under the signature of the Chairman of the meeting at which it was passed.
- 2) Signature of the shareholders nominating the candidature should match with the specimen signature available with the Share Transfer Agent of the Bank.
- 3) If any of the columns above is left Blank or the particulars are found to be incorrect, the nomination is liable to be rejected.



ORIENTAL BANK OF COMMERCE

Head Office: Harsha Bhawan, E-Block, Connaught Place, New Delhi – 110001

Corporate Office: Plot No.5, Sector-32, Institutional Area, Gurugram – 122001

DECLARATION

I, ... son / daughter / wife of Shri
/ Smt. resident of
hereby confirm that :

- a. I am a shareholder holding equity shares of the Bank on Friday the **25th day of August 2017** i.e., the cut-off date specified date for participating in the elections, and undertake to hold the shares till the end of the tenure, if elected as a Director of the Bank, and
- b. I have special knowledge or practical experience in (i) agriculture and rural economy, (ii) banking, (iii) cooperation, (iv) economics, (v) finance (vi) law, (vii) small scale industry (viii) Information Technology (ix) Payment & Settlement Systems (x) Human Resources (xi) Risk Management and (xii) Business Management or any other matter, the special knowledge of and practical experience of which in the opinion of Reserve Bank of India would be useful to the Bank and I represent the interest of the depositors or farmers, workers and artisans, in terms of sub-section 3A of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 and as an evidence thereof, I submit herewith the relevant testimonials*, and
- c. I accept the nominations numbering and
- d. I am willing to contest for the election of Directors of Oriental Bank of Commerce, and
- e. I am not disqualified from being a director of the Bank under the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, Oriental Bank of Commerce (Shares & Meetings) Regulations, 1998 and Notifications issued by RBI, and Guidelines issued by GOI with regard to Non-Official Directors of Public Sector Banks, and
- f. I neither hold any office of profit nor am I an employee of any Nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, and
- g. I have not been at any time adjudicated as an insolvent or have suspended payment or have been compounded with the creditors, and
- h. I have not been found to be of unsound mind and stand so declared by a competent court and has not been convicted by competent court and have not been convicted by a criminal court of an offence which involves moral turpitude, and
- i. I am not connected with hire-purchase, financing, investment, leasing and other para-banking activities and I am not a MP/MLA/MLC/Stock Broker, and
- j. I have not been declared as proclaimed offender by any Economic Officer or Judicial Magistrate or High Court or any other Court, and
- k. I am not a Director in any other Public Sector Bank or Financial Institution or RBI or Insurance Company, and
- l. I have not been a Director in any other Public Sector Bank or Financial Institution or RBI or Insurance Company in the past under any category for two terms or six years, whichever is longer and whether continuously or intermittently; and

- m. I have not been a Director on the Board of this Bank, in the past, under any category for two terms or six years whichever is longer; and
- n. I will sever professional relationship, if any, with the Bank forthwith on getting elected and will not undertake any professional relationship with the Bank during my tenure as Director and for a period of two years thereafter; and
- o. I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of events, if any, which take place subsequent to this declaration which are relevant to the information provided hereto and to execute the Deed of Covenants upon my election as a Director of the Bank, and
- p. I undertake to comply with relevant provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended till I hold the position as Director of the Bank, and
- q. I give below the details of my present as well as past directorship details in other companies/ banks

Name of the company, bank, etc.	Directorship details viz., tenure, period, etc.

Add additional sheet, if necessary.

I enclose my personal details in the enclosed Personal Information, Declaration and Undertaking Form, which are to the best of my knowledge and belief true and complete in all respects

Name	
Signature	
No. of shares	
Regd. Folio No. (if not dematerialized)	
DP ID No. & Client ID No. (if dematerialized)	
Place	
Date	

The above declaration was signed before me by Shri/Smt.

Signature with seal of Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances, or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or any Public Sector Bank.

*Delete whichever is not applicable.



ORIENTAL BANK OF COMMERCE

Head Office: Harsha Bhawan, E-Block, Connaught Place, New Delhi – 110001

Corporate Office: Plot No.5, Sector-32, Institutional Area, Gurugram – 122001

PERSONAL INFORMATION, DECLARATION AND UNDERTAKING

Affix
passport size
photo here

Name of the Bank: ORIENTAL BANK OF COMMERCE

Declaration & Undertaking by the Candidate with enclosures as appropriate as on

I	Personal details of Candidate	
a	Full Name (in block capital letters) Father's Name (in Full)	
b	Date of Birth	
c	Educational Qualifications (Educational/ academic) (Please attach self attested copies of the certificates supporting the information)	
	(Educational/ professional) (Please attach self attested copies of the certificates supporting the information).	
d	Relevant Background and Experience (As required under Section 9(3A) of the Banking Companies (Acquisition & transfer of Undertakings) Act, 1980. (Please indicate your experience relevant to the directorship of the Bank).	
e	Permanent Address	
f	Present Address	
g	E-mail Address Telephone Number (Landline) Telephone Number (Mobile)	
h	Permanent Account Number under the Income Tax Act (Please enclose a copy) Name and Address of the Income Tax Circle/Division where personal tax returns are being filed.	
i	Relevant knowledge and experience (Refer Section 9(3-A) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980	
j	Any other information relevant to Directorship of the Bank	
II	Relevant Relationships of Candidate	
a	List of Relatives if any who are connected with the Bank (Refer Section 2(77) of Companies Act, 2013 read with Rule 4 of Companies (Specification of Definitions Details) Rules, 2014 [Section 6 and Sch 1A of Companies Act 1956]	
b	List of entities if any in which he/she is considered as being interested (Refer Section 2 (49) and Section 184 of the Companies Act, 2013) [Section 299(3) (a) and Section 300 of the Companies Act, 1956]	
c	List of entities in which he/she is considered as holding substantial interest within the meaning of Section 5(ne) of the Banking Regulation Act, 1949 proposed and existing	
d	Name of Bank in which he/she is or has been a member of the board (giving details of period during which such office was held)	
e	Fund and non-fund facilities, if any, presently availed of by him/her and/or by entities listed in II (b) and (c) above from the Bank	
f	Cases, if any, where the Candidate or entities listed in II (b) and (c) above are in default or have been in default in the past in respect of credit facilities obtained from the bank or any other bank.	

III	Records of professional achievements							
a	Professional achievements relevant							
IV	Proceedings, if any, against the Candidate							
a	If the candidate is a member of a professional association/body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against him/her or whether he/she has been banned from entry of at any profession/occupation at any time.							
b	Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the Candidate and/or against any of the entities listed in II (b) and (c) above for violation of economic laws and regulations							
c	Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the Candidate							
d	Whether the Candidate attracts any of the disqualifications envisaged under Section 164 of the Company's Act 2013 [Section 274 of the Companies Act, 1956]							
e	Has the Candidate or any of the entities at II (b) and (c) above been subject to any investigation at the instance of Government department or agency?							
f	Has the Candidate at any time been found guilty of violation of rules/regulations/ legislative requirements by customs/ excise /income tax/foreign exchange / other revenue authorities, if so give particulars							
g	Whether the Candidate at any time come to the adverse notice of a regulator such as SEBI, IRDA, DCA, RBI, FEMA, MCA CIBIL etc. (Though it shall not be necessary for a candidate to mention in the column about orders and findings made by regulators which have been later on reversed/ set aside in toto, it would be necessary to make a mention of the same, in case the reversal/ setting aside is on technical reasons like limitation or lack of jurisdiction, etc. and not on merit. If the order of regulator is temporarily stayed and the appellate/ court proceedings are pending, the same also should be mentioned).							
V	Any other explanation / information in regard to items I to III and other information considered relevant for judging fit and proper							
Enclosures:								
.....								
.....								
Note:								
Wherever space is not sufficient, please attach the information as annexures in chronological order and with appropriate cross reference.								
Each page (including annexures) is required to be signed by the candidate.								
Observations / Remarks of the Nomination Committee:								
<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Committee Member</td> <td>Committee Member</td> <td>Committee Chairman</td> </tr> </table>						Committee Member	Committee Member	Committee Chairman
Committee Member	Committee Member	Committee Chairman						
Place :								
Date :								
<u>Undertaking</u>								
I Son/Daughter/Wife of Shri confirm that the above information is to the best of my knowledge and belief true and complete. I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of all events which take place subsequent to my appointment which are relevant to the information provided above.								
I also undertake to execute the deed of covenant required to be executed by all directors of the bank.								
Place :								
Date :		Signature of Candidate						



ORIENTAL BANK OF COMMERCE

Head Office: Harsha Bhawan, E-Block, Connaught Place, New Delhi – 110001

Corporate Office: Plot No.5, Sector-32, Institutional Area, Gurugram – 122001

ATTENDANCE SLIP

(To be surrendered at the time of entry to the Venue)

Date: September 19th, 2017

Time: 10.00 a.m.

Place: New Delhi

Regd. Folio No.		DP ID & Client ID	
(if shares are not dematerialized)		(If shares are dematerialized)	
Name of the Shareholder (IN BLOCK LETTERS)			
Number of Shares			
Signature of the Shareholder/ Proxy/Authorised Representative present			

I hereby record my presence at the Extraordinary General Meeting of the Bank held on September 19th, 2017 at Federation of Indian Export Organisations (FIEO), Niryat Bhawan, Rao Tula Ram Marg, (Opposite Army Hospital Research & Referral), New Delhi - 110057

Signature of the Shareholder/Proxy/Authorised Representative



ORIENTAL BANK OF COMMERCE

Head Office: Harsha Bhawan, E-Block, Connaught Place, New Delhi – 110001

Corporate Office: Plot No.5, Sector-32, Institutional Area, Gurugram – 122001

ENTRY PASS

(To be retained throughout the meeting)

Date: September 19th, 2017

Time: 10.00 a.m.

Place: New Delhi

Regd. Folio No.		DP ID & Client ID	
(if shares are not dematerialized)		(If shares are dematerialized)	
Name of the Shareholder (IN BLOCK LETTERS)			
Number of Shares			
Signature of the Shareholder / Proxy / Authorised Representative present			

Shareholders / proxy holders / authorized representative are requested to produce the above Attendance Slip, duly signed in accordance with their specimen signatures registered with the Bank, alongwith the entry pass, for admission to the venue. The admission may, however, be subject to verifications / checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, any duplicate Attendance Slip-Cum-Entry Pass-Cum- Ballot Paper Pass will be issued at the entrance to the meeting hall.



ORIENTAL BANK OF COMMERCE

Head Office: Harsha Bhawan, E-Block, Connaught Place, New Delhi – 110001

Corporate Office: Plot No. 5, Sector-32, Institutional Area, Gurugram – 122001

(To be surrendered to the Polling counters for issue of ballot paper)

Regd. Folio No.		DP ID & Client ID	
(if shares are not dematerialized)		(If shares are dematerialized)	
Name of the Shareholder (IN BLOCK LETTERS)			
Number of Shares			
Signature of the Shareholder / Proxy / Authorised Representative present			



ORIENTAL BANK OF COMMERCE

Head Office: Harsha Bhawan, E-Block, Connaught Place, New Delhi – 110001

Corporate Office: Plot No.5, Sector-32, Institutional Area, Gurugram – 122001

PROXY FORM 'B'

(To be filled in and signed by the shareholder)

Regd. Folio No.	DP ID	
If shares are not dematerialized	Client ID	
	If shares are dematerialized	

I/We, ... resident/s of in the district of in the State of being a shareholder/shareholders of ORIENTAL BANK OF COMMERCE, hereby appoint Shri/Smt. resident of in the district of in the State of or failing him/her, Shri/Smt. resident of in the district of in the State of as my/our proxy to vote for me/us on my/our behalf at the EXTRAORDINARY GENERAL MEETING of the shareholders of **ORIENTAL BANK OF COMMERCE** to be held on Tuesday, September 19th, 2017 at Federation of Indian Export Organisations (FIEO), Niryat Bhawan, Rao Tula Ram Marg (Opposite Army Hospital Research & Referral), New Delhi - 110057 and at any adjournment thereof.

Signed this day of 2017.

Signature of the Proxy Signature of the first holder/sole holder

Name:

Address:

*Please affix
Revenue Stamp*

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

1.	No instrument of proxy shall be valid unless,
a)	in case of an individual shareholder, it is signed by him/her or by his/her attorney duly authorised in writing
b)	in the case of joint holders, it shall be signed by the shareholder first named in the Register of Members or by his/her attorney duly authorised in writing
c)	in the case of a body corporate, signed by its officer and executed under its Common Seal, if any, or otherwise signed by its attorney duly authorised in writing and shall be in the Form B and duly stamped.
2.	An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his/her name, if his /her remark is affixed thereto and attested by a Judge or Magistrate or Registrar or Sub-Registrar of Assurances or any other Government Gazetted Officer or an officer of Oriental Bank of Commerce or any other Nationalised Bank.
3.	The proxy together with
a.	the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or
b.	a copy of that power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at Head Office or Corporate Office of the Bank, not later than FOUR DAYS before the date of the Extraordinary General Meeting, i.e. on or before closing hours of the Bank at 5.00 p.m. of Thursday, 14 th September 2017.
4.	No instrument of proxy shall be valid unless it is in Form B and duly stamped.
5.	An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
6.	In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
7.	The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Extraordinary General Meeting to which such instrument relates.
8.	No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Oriental Bank of Commerce.
9.	All alterations in the Proxy Form should be duly authenticated.